HINDUJA LEYLAND FINANCE

स्वीकृति पत्र

सेवा में,

दिनांक: ....

प्रिय महोदय/महोदया,

विषय : दिनांक .... का आपका आवेदन..................................

.... की प्रतिभूति सुरक्षा पर

हमें आपको यह बताते हुए खुशी हो रही है कि हमने .... रुपये का ऋण स्वीकृत किया है निम्नलिखित मुख्य शर्तों पर:-

1.	चुकौती की अवधि	.... महीने
2.	ब्याज की दर* (IRR)	......................................% P.A (बकाया राशि पर मासिक शेष राशि के हिसाब से गणना की जानी है)
3.	किश्तों की संख्या	....
4.	पहली किश्त बकाया होगी	तुरंत / ....दिन बाद
5.	पूर्व संवितरण शुल्क a)स्टाम्प शुल्क	रु.
	b)दस्तावेज़ शुल्क	रु.
	c)रद्दीकरण शुल्क, प्रस्ताव वापस लेने की स्थिति में।	रु.
6.	अन्य सेवा शुल्क	रु.

(सभी लागू शुल्कों में सेवा कर शामिल है - हमारी पंजीकरण संख्या AACCH1807P SD001)

हम आपका ध्यान इस पत्र के साथ संलग्न नियमों और शर्तों की ओर आकर्षित करना चाहते हैं, जो इस पत्र का हिस्सा हैं। स्वीकृत किया गया ऋण इसके साथ संलग्न नियमों और शर्तों और किसी भी अन्य अतिरिक्त दस्तावेजों के अधीन है, जिन्हें आपको ऋण के संबंध में निष्पादित करना पड़ सकता है।

जहां उधारकर्ता एक कॉर्पोरेट इकाई है, उधारकर्ता इकाई द्वारा ऋणदाता को एक वचनबद्धता प्रदान की जानी चाहिए और निदेशक व्यक्तिगत गारंटी देता है कि उक्त गारंटी के लिए निदेशक द्वारा कोई शुल्क, कमीशन या मौद्रिक लाभ का भुगतान किया या लिया नहीं गया है।

कृपया ध्यान दें कि उपरोक्त शर्तों की वैधता यहां दी गई तारीख से केवल 10 दिनों के लिए मान्य है।

कृपया इस पत्र की डुप्लीकेट कॉपी पर हस्ताक्षर करके अपनी स्वीकृति दें।

हमें चुनने के लिए हम आपको एक बार फिर धन्यवाद देते हैं।

भवदीय,

मैं/हम नियमों और शर्तों से सहमत हूँ/हैं और पुष्टि करता हूँ/करते हैं कि मुझे/हमें नियम और शर्तों और इस ऋण समझौते की एक कॉपी के साथ इस पत्र की कॉपी मिली है।

HINDUJA LEYLAND FINANCE LIMITED के लिए

....

उधारकर्ता **सह-उधारकर्ता** **गारंटर**

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

जोखिम के वर्गीकरण के लिए दृष्टिकोण

1.ब्याज की यह दर हिंदुजा लीलैंड फाइनेंस के ब्याज दर मॉडल के माध्यम से तय की गई है, जिसमें प्रासंगिक कारकों जैसे फंड की लागत, मार्जिन और जोखिम प्रीमियम को ध्यान में रखा जाता है, हम जोखिम के वर्गीकरण के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाते हैं जिसमें उधारकर्ताओं के वर्ग के बीच भेदभाव नहीं किया जाता है, बल्कि प्रत्येक ऋण के लिए ब्याज दर को अनुकूलित किया जाता है।

2. ऋण देने का निर्णय और उस पर ब्याज की दर का मामले दर मामले के आधार पर सावधानी से, कई कारकों के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है, जिसमें उधारकर्ता का नकदी प्रवाह (पिछला, वर्तमान और अनुमानित), उधारकर्ता का क्रेडिट रिकॉर्ड, अंतर्निहित परिसंपत्तियों या अन्य वित्तीय गारंटी आदि द्वारा दर्शाए गए ऋण के लिए प्रतिभूति सुरक्षा शामिल हो सकती है। इस तरह की जानकारी उधारकर्ता द्वारा प्रदान की गई जानकारी, क्रेडिट रिपोर्ट, बाजार की जानकारी और उधारकर्ता के परिसर के क्षेत्र निरीक्षण द्वारा एकत्रित की गई जानकारी के आधार पर एकत्रित की जाती है।

सारणी 1A

क्र.सं.	विवरण	शुल्क (सभी लागू शुल्कों में सेवा कर सेवा कर शामिल है पंजीकरण संख्या AACCH1807 PSD 001)
1.	चेक उगाही शुल्क	वर्तमान में शून्य
2.	नॉन पोस्ट दिनांकित / नॉन ईसीएस उगाही शुल्क	जैसा कि ऋणदाता द्वारा लगाए गए न्यूनतम रु. 200/- प्रति लिखित है
3.	चेक/ECS अस्वीकृति शुल्क	जैसा कि ऋणदाता के बैंकर द्वारा प्रत्येक अस्वीकृति के लिए न्यूनतम रु. 500/- + 50/- प्रति चेक है
4.	**असाइनमेंट** दस्तावेज़ शुल्क असाइनमेंट के लिए प्रोसेसिंग शुल्क	रु.750/- असाइनमेंट के समय बकाया राशि का 1%
5.	**जब्ती** संपत्तियों के कब्जे / जब्ती के लिए किए गए वास्तविक खर्चों के अलावा संपत्तियों के कब्जे के मामले में, जिसमें जब्ती एजेंट को भुगतान / देय राशि शामिल है: a)स्टॉपिंग शुल्क (हर अवसर पर) कार हल्के कमर्शियल वाहन 3 पहिया कमर्शियल वाहन मशीनरी b)जब्ती शुल्क (हर अवसर पर) कार हल्के कमर्शियल वाहन 3 पहिया कमर्शियल वाहन मशीनरी b)पार्किंग शुल्क (प्रति दिन) कार हल्के कमर्शियल वाहन 3 पहिया कमर्शियल वाहन मशीनरी	 रु. रु. रु. रु. रु. रु. रु. रु. + वास्तविक आंकड़े रु. रु. रु. रु. रु. रु. रु.
6.	**यात्रा व्यय प्रति माह** –महीने में दूसरी विजिट	रु.150/- प्रति विजिट।
7.	डुप्लीकेट समाप्ति पत्र जारी करने के लिए शुल्क	रु.500/-
8.	कैश हैंडलिंग शुल्क	2000 तक: शून्य: 2001 से 10000 तक: रु.10 : रु. 10001 से 50000 तक: रु.20; 5000 से रु.1 लाख तक; रु.50; 1 लाख रुपये से ऊपर: 100 रुपये प्रति लाख से अधिकतम 10000 रुपये
9.	उधारकर्ता के सभी अनुरोधों में किस्तों को बदलने और पुनर्निर्धारित करने के	पुनर्गठित राशि का 1%

	लिए पुनर्निर्धारण शुल्क	
10.	खाते का विवरण प्रस्तुत करने के लिए शुल्क (दूसरी बार)	वर्तमान में शून्य
11.	RTO को अनापत्ति पत्र/प्रमाणपत्र जारी करने का शुल्क	वर्तमान में शून्य
12.	चेक की अदला-बदली के लिए शुल्क (हर अवसर पर)	रु. 250/-
13.	उधारकर्ता के अनुरोध पर समझौते की शर्तों में संशोधन के लिए शुल्क (हर अवसर पर)	वर्तमान में शून्य
14.	उधारकर्ता के अनुरोध पर चालान की प्रति जारी करने के लिए शुल्क	वर्तमान में शून्य
15.	उधारकर्ता के नाम पर पंजीकरण को स्थानांतरित करने के लिए शुल्क और पूर्व-स्वामित्व वाले लेनदेन के संबंध में पंजीकरण प्रमाण पत्र में दृष्टिबंधक/किराया खरीद समर्थन शामिल करने के लिए भी।	वर्तमान में शून्य
16.	समयपूर्व समापन के लिए देय प्रीमियम की दर	सुविधा की तत्कालीन बकाया राशि का 5% या ऋणदाता द्वारा समय-समय पर निर्धारित किसी भी अन्य दर के साथ साथ लागू कर और वैधानिक लेवी
17.	क्लॉज 2.15 के तहत अतिरिक्त वित्त शुल्क या दंड शुल्क की दर	36% प्रति वर्ष साथ में लागू कर और वैधानिक लेवी

HINDUJA LEYLAND FINANCE LIMITED के लिए

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

उधारकर्ता सह-उधारकर्ता गारंटर

ऋणदाता

ऋण अनुबंध

यह समझौता नीचे लिखी गयी अनुसूची- I में उल्लिखित स्थान और तिथि पर किया जाता है;

के बीच

M/s. Hinduja Leyland Finance Limited, 1956 एक कंपनी और जिसका कॉर्पोरेट कार्यालय नंबर 27-ए विकसित औद्योगिक एस्टेट गुइंडी**,** चेन्नई - 600032 में है**,** जिसे इसके बाद "ऋणदाता" कहा रूप में संदर्भित किया गया है (जो अभिव्यक्ति तब तक होगी जब तक कि संदर्भ या अर्थ के प्रतिकूल इसके उत्तराधिकारी और असाइनमेंट आदि शामिल हैं);

और

अनुसूची - I में वर्णित उधारकर्ता, सह-उधारकर्ता और गारंटर, (जो अभिव्यक्ति, जब तक कि इसका संदर्भ या अर्थ इसके अर्थ और उसके संबंधित वारिसों, हित में प्रतिनिधियों, प्रशासकों और निष्पादकों, उत्तराधिकारी और असाइनमेंट आदि के प्रतिकूल न हो)।

अभिव्यक्ति "उधारकर्ता" में एकल / एक से अधिक सह-उधारकर्ता शामिल हैं और संयुक्त रूप से "उधारकर्ता" के रूप में संदर्भित हैं; और "उधारकर्ता" और "गारंटर" जब तक संदर्भ के प्रतिकूल न हों और इसमें कई उधारकर्ता / गारंटर (यदि कोई हों) और उनके कानूनी उत्तराधिकारी, हित में प्रतिनिधि, निष्पादक, प्रशासक, उत्तराधिकारी और असाइन किए गए आदि शामिल हों।
अभिव्यक्ति "ऋणदाता", "उधारकर्ता" और "गारंटर" को व्यक्तिगत रूप से "पार्टी" के रूप में संदर्भित किया जाता है और सामूहिक रूप से "पार्टियों" के रूप में संदर्भित किया जाता है।

जबकि:

क. उधारकर्ता ने इस उद्देश्य के लिए ऋण सुविधा के लिए अनुरोध किया है जिसे यहां पहली अनुसूची में अधिक विस्तार से वर्णित किया गया है|

ख. उधारकर्ता द्वारा किए गए अभ्यावेदन पर भरोसा करते हुए, ऋणदाता उधारकर्ता को ऋण सुविधा उपलब्ध कराने के लिए इसके बाद उल्लिखित नियमों और शर्तों पर सहमत हो गया है।

नियम और शर्तें
आर्टिकल 1
परिभाषाएं

1.1 अनुबंध में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:

“समझौते”	इसका मतलब यह है कि किसी भी संशोधन, अनुपूरक समझौते (ओं) के साथ इस तरह के अन्य प्रासंगिक दस्तावेज और / या इसके द्वारा विचार किया गया है, जो उधारकर्ता ने ऋणदाता को प्रस्तुत किया है और / या जिस पर ऋणदाता ने इस ऋण सुविधा का विस्तार करने के लिए भरोसा किया है। ऋणदाता, उधारकर्ता, सह-उधारकर्ता और गारंटीकर्ता जिसमें अनुबंध से जुड़ी कोई भी अनुसूचियां, अनुबंध, नियम और शर्तें (टी एंड सी) शामिल हैं।
“आवेदन पत्र”	का मतलब है ऋण सुविधा चाहने वाले ऋणदाता को उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता/गारंटर द्वारा निर्धारित प्रपत्र (डिजिटल प्रपत्रों सहित) में प्रस्तुत किया गया कोई भी आवेदन|
“संपति”	का अर्थ है वाहन या मशीनरी खरीद के लिए/जिसके संबंध में ऋणदाता द्वारा उधारकर्ता को ऋण प्रदान किया गया है और जो उधारकर्ता द्वारा उधारकर्ता के पक्ष में दृष्टिबंधक है सुरक्षा के माध्यम से ऋणदाता से है| संपत्ति में इसके वांछित उपयोग के लिए बॉडी / आवश्यक निर्माण के साथ या बिना एकल या एकाधिक वाहन या मशीनरी शामिल हैं और इसके बाद के सभी विकास, परिवर्धन (जैसे ट्रेलर) और इसमें सुधार शामिल हैं।

“उधारकर्ता”	का अर्थ है एक या अधिक, व्यक्ति (व्यक्तियों) एकमात्र स्वामित्व वाला मामला, हिंदू अविभाजित परिवार ((HUF), ट्रस्ट, व्यक्तियों का संघ, समाज, क्लब, लिमिटेड (LLP) / असीमित भागीदारी फर्म, या एक सीमित (सार्वजनिक या निजी) कंपनी या एक व्यक्ति कंपनी (OPC), संयुक्त उद्यम कंपनियां / फर्म, एक विशेष प्रयोजन वाहन (SPV) के रूप में गठित कंपनियां जो उधारकर्ता के रूप में समझौते को क्रियान्वित करती हैं| इस मामले में जब उधारकर्ता एक से अधिक व्यक्ति होते हैं, तो प्रत्येक को व्यक्तिगत रूप से समझौता किया गया माना जाता है और उन सभी ने संयुक्त रूप से और अलग-अलग देनदारियों के लिए सहमति व्यक्त की है और "उधारकर्ता" शब्द में सभी और उनके संबंधित शामिल होंगे वारिस, प्रबंधक, प्रशासक, कानूनी प्रतिनिधि और अनुमत समनुदेशिती आदि| यदि उधारकर्ता एकमात्र स्वामित्व वाला मामला है, तो जिस व्यक्ति का नाम एकमात्र मालिक के रूप में प्रकट होता है और उधारकर्ता शब्द में उसके संबंधित वारिस, प्रबंधक, प्रशासक, कानूनी प्रतिनिधि और अनुमत समनुदेशिती आदि शामिल होंगे। यदि उधारकर्ता एक सीमित/असीमित भागीदारी फर्म है, तो भागीदार जो अनुबंध में उल्लिखित नाम और तरीके में साझेदारी फर्म में अपनी गतिविधियों का संचालन कर रहे हैं। उक्त फर्म अपने भागीदारों के साथ अपनी व्यक्तिगत क्षमता में इसके बाद सामूहिक रूप से "उधारकर्ता" के रूप में संदर्भित है और इसमें उन्हें और उनके सरवाइवर या साझेदार या भागीदार और उनके संबंधित वारिस, प्रबंधक, प्रशासक, कानूनी प्रतिनिधि और अनुमत समनुदेशिती आदि शामिल होंगे। यदि उधारकर्ता एक सीमित कंपनी है, कंपनी के निदेशक या कंपनी द्वारा अधिकृत व्यक्ति, जो कंपनी की गतिविधियों को समझौते में उल्लिखित नाम और शैली में संचालित कर रहे हैं। उक्त कंपनी अपने निदेशकों के साथ अपनी व्यक्तिगत क्षमता में इसके बाद सामूहिक रूप से "उधारकर्ता" के रूप में संदर्भित है और इसमें कंपनी अधिनियम में निहित प्रावधानों के अधीन इसके उत्तराधिकारी और प्रशासक और अनुमत समनुदेशित शामिल होंगे। यदि उधारकर्ता एक ट्रस्ट है, उसके ट्रस्टी, HUF, के मामले में, HUF, का गठन करने वाले कार्थ और उसके समान उतराधिकारी, AOP के मामले में, वे व्यक्ति जिन्होंने एसोसिएशन का गठन किया है, एक सोसाइटी के मामले में, इसके शासी निकाय और इसके सदस्य , क्लब के मामले में, उसके प्रबंधक और क्लब चलाने वाले उसके सदस्य, संयुक्त उद्यम/SPV के मामले में वे संस्थाएं जिन्होंने संयुक्त उद्यम का गठन किया है या जिन्होंने "स्पेशल पर्पज व्हीकल" बनाया है और इससे संबंधित संस्थाएं, सभी लाभकारी मालिक और हिस्सेदारी इसके उत्तराधिकारियों और प्रशासकों और अनुमत समनुदेशितियों आदि धारक इसमें शामिल हैं| इस अनुबंध के प्रयोजन के लिए प्रत्येक व्यक्ति इकाई/इकाइयाँ हैं।
“सह-उधारकर्ता”	शब्द 'सह-उधारकर्ता' जहां भी संदर्भ की आवश्यकता होती है, का अर्थ होगा और उस व्यक्ति (एक या अधिक) के रूप में माना जाएगा जो संयुक्त रूप से और गंभीर रूप से उसके द्वारा लिए गए ऋण या अन्य टॉपअप (अतिरिक्त) ऋणों के पुनर्भुगतान के लिए उत्तरदायी हैं जो उन्हें उधारकर्ता के साथ संयुक्त रूप से और उधारकर्ता के साथ इस समझौते की सभी शर्तों के उचित प्रदर्शन का आश्वासन देता है| सह-उधारकर्ता की देनदारी उधारकर्ता के साथ सह-विस्तृत है। शब्द "सह-उधारकर्ता" में एक या अधिक, व्यक्तिगत सह-उधारकर्ता और उनके संबंधित उत्तराधिकारी, प्रबंधक, प्रशासक, कानूनी प्रतिनिधि और अनुमत समनुदेशिती शामिल होंगे।

“मध्यस्थता का इलेक्ट्रॉनिक संचालन”	इसका मतलब है कि मध्यस्थ द्वारा साक्ष्य की रिकॉर्डिंग, नोटिस, दावा याचिका, पत्र और दस्तावेजों, , उत्तर, प्रत्युत्तर, नोटिस, दस्तावेज आदि, मध्यस्थ को, इसकी वास्तविकता और विवाद के निर्णय के लिए मध्यस्थ द्वारा स्वीकृति के अधीन को पार्टियों के पंजीकृत ई-मेल आईडी या मोबाइल नंबर (व्हाट्सएप या अन्य समान एप्लिकेशन के साथ सक्षम) पर भेजना और दावा याचिकाएं भेजना शामिल है।
“ऋण दस्तावेजों का इलेक्ट्रॉनिक प्रबंधन”,	का अर्थ इलेक्ट्रॉनिक/डिजिटल रूप में ऋण दस्तावेजों का निष्पादन और सत्यापित और पुष्टि एक OTP (वन-टाइम पासवर्ड) और/या उनके घोषित/पंजीकृत मोबाइल नंबरों पर भेजे गए ई-लिंक और/या ई-लिंक के माध्यम से -मेल आईडी (ओं) से है।
“फेयर प्रैक्टिस कोड”	इसका अर्थ है ऋणदाता द्वारा अपने ग्राहकों को दी जाने वाली उचित व्यवहार संहिता, जिसे ऋणदाता की वेबसाइट में होस्ट किया गया है।
“गारंटर”	का अर्थ है एक या अधिक, व्यक्ति (व्यक्ति), एकमात्र स्वामित्व वाली संस्था, HUF, ट्रस्टी, व्यक्तियों के संघ/क्लब/सोसाइटी के प्रबंधक, लिमिटेड (LLP)/असीमित भागीदारी फर्म, LLP या एक सीमित कंपनी या एक व्यक्ति कंपनी (OPC), संयुक्त उद्यम कंपनियां/फर्म जो गारंटीकर्ता के रूप में समझौते को निष्पादित करती हैं (चाहे इस समझौते के तहत या किसी अन्य समझौते के तहत), जो व्यक्तिगत रूप से उधारकर्ता द्वारा किए गए अनुबंध के प्रदर्शन की गारंटी देता है और ऋणदाता को देय सभी ऋण देय राशि का पुनर्भुगतान सुनिश्चित करता है, उधारकर्ता ऋण का भुगतान करता है या नहीं|
“गिरवी रखना”	अर्थात सुरक्षित परिसंपत्ति पर सृजित एक विशिष्ट शुल्क, जिसे अनुसूची - । में पूरी तरह से वर्णित किया गया है|
“किस्त" या "ईएमआई (समान मासिक किस्त)”	का अर्थ दूसरी अनुसूची में निर्दिष्ट मासिक भुगतान की राशि, ऋण की अवधि के दौरान ब्याज सहित ऋण परिशोधन के लिए आवश्यक से है|
" IRACP”	का अर्थ है "आय की पहचान, संपत्ति का वर्गीकरण और अग्रिम से संबंधित प्रावधान"। IRACP को नियंत्रित करने वाले विवेकपूर्ण मानदंड नियामक प्राधिकरण यानी RBI द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों द्वारा शासित होंगे।
“ऋणदाता”	मतलब **M/s. Hinduja Leyland Finance Limited**, और समझौते में उल्लिखित क्षेत्रीय/राज्य/क्षेत्रीय/शाखा कार्यालय, जैसा भी मामला हो, शामिल है।
“ऋण”	मतलब अनुच्छेद 2.1 के इस समझौते और एकल या एकाधिक संपत्तियों की खरीद के लिए पहली अनुसूची में संदर्भित ऋण (एकल या एकाधिक ऋण)।
“एनसीएलटी या नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल”	का अर्थ भारत में एक अर्ध-न्यायिक निकाय है जो किसी कंपनी के उत्पीड़न और कुप्रबंधन के दावों, कंपनियों के समापन, साझेदारी, व्यक्तियों, जैसा भी मामला हो और कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत निर्धारित अन्य सभी शक्तियों के साथ-साथ और दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 के तहत कंपनियों के खिलाफ दिवालियापन की कार्यवाही से संबंधित मुद्दों का न्याय करता है।
“पोस्ट डेटेड चेक" या "पीडीसी"	अर्थात् प्रत्येक किश्त की देय तिथि से मेल खाने वाली तारीखों वाली किश्त की राशि के लिए उधारकर्ता द्वारा ऋणदाता के पक्ष में आहरित किश्त की राशि का चेक|
“पूर्व भुगतान”	इसका मतलब ऋणदाता द्वारा निर्धारित नियमों और शर्तों के अनुसार समय से पहले चुकौती और पुनर्भुगतान के समय लागू होने से है|
“दरें और ब्याज”	इसका मतलब इस समझौते के अनुच्छेद 2.2 में संदर्भित ब्याज दर से है|
“रेगुलेटरी अथॉरिटी”	का अर्थ है की इसमें भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) और अन्य सरकारी, अर्ध सरकारी प्राधिकरण, एक वैधानिक निकाय आदि शामिल हैं|

“पुर्नभुगतान”	इसका अर्थ है ऋण की मूल राशि, उस पर ब्याज, प्रतिबद्धता और/या कोई अन्य शुल्क, प्रीमियम, शुल्क या ऋणदाता को इस समझौते के अनुसार देय अन्य देय राशि का पुनर्भुगतान; और विशेष रूप से इसका मतलब है, इस समझौते के अनुच्छेद 2.9 में प्रदान किया गया बदलाव है|
“स्वीकृति पत्र”	का अर्थ है ऋणदाता द्वारा जारी किया गया एक पत्र जो उधारकर्ता को ऋण सुविधा की मंजूरी की सूचना देता है और इसे समझौते और यहां निर्धारित नियमों और शर्तों के साथ और साथ में पढ़ा जाएगा।
“अनुसूचियां”	इसका मतलब समझौते से जुड़ी कोई या सभी अनुसूचियां, जिसमें संपत्ति, स्वीकृत ऋण, लागू शुल्क, ऋण की चुकौती के लिए किस्त आदि का विवरण है, या समय-समय पर आपसी सहमति से संशोधित किया गया और/या किसी भी वैधानिक आधार पर / नियामक व्यवस्था से है|
“सुरक्षित संपत्ति”	इसका मतलब है और इसमें प्राथमिक सुरक्षा (परिसंपत्ति जो ऋणदाता द्वारा उन्नत धन से खरीदी गई थी, चाहे ग्रहणाधिकार चिह्नित हो या नहीं) और ऋण के लिए बाद के सभी विकास, परिवर्धन और सुधार के साथ ऋण के निपटान तक ऋणदाता, उधारकर्ता के हितों की रक्षा के लिए ली गई बीमा पॉलिसियों के साथ, चाहे इस समझौते के तहत या किसी अन्य बाद के समझौते के तहत ऋण के लिए दी गई संपार्श्विक सुरक्षा शामिल है।
“सुरक्षित लेनदार”	का अर्थ है ऋणदाता जिसके पक्ष में किसी भी वित्तीय सहायता के उधारकर्ता द्वारा देय पुनर्भुगतान के लिए सुरक्षा हित बनाया गया है
“सुरक्षित ऋण”	का अर्थ है ऋण जो किसी भी सुरक्षा ब्याज द्वारा सुरक्षित है
“सुरक्षा हित”	इसका मतलब है सही, शीर्षक और सुरक्षित लेनदार के पक्ष में बनाई गई संपत्ति पर किसी भी प्रकार का अधिकार और इसमें सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 31 में निर्दिष्ट के अलावा कोई भी बंधक, शुल्क, दृष्टिबंधक, असाइनमेंट शामिल है।
“स्पेशल मेंशन अकाउंट (एसएमए)" और "नॉन-परफॉर्मिंग एसेट (एनपीए)"	इसका मतलब है कि विशेष उल्लेख खाते (SMA 1 और 2) और गैर-प्रबंधक परिसंपत्ति के रूप में 'दबावग्रस्त फ्रेमवर्क के समाधान के लिए विवेकपूर्ण ढांचे' पर लागू RBI परिपत्र के अनुसार खाते का वर्गीकरण|
“कर”	का अर्थ है और इसमें उधारकर्ता द्वारा देय या ऋणदाता द्वारा केंद्र या राज्य सरकार को देय सभी कर शामिल हैं, लेकिन माल और सेवा कर (GST), सड़क कर, मोटर वाहन कर, ग्रीन टैक्स, आयकर आदि तक सीमित नहीं है।
"वेबसाईट”	इसका अर्थ है ऋणदाता की सार्वजनिक वेबसाइट अर्थात ww.hindujaleylandfinance.com

1.2 यहां परिभाषित नहीं किए गए शब्दों और अभिव्यक्तियों में जहां व्याख्या और अर्थ उन्हें सामान्य खंड अधिनियम, 1897 के संदर्भ में सौंपा गया है, वहां वह व्याख्या और अर्थ होगा|

1.3 एकवचन में उपयोग किए जाने वाले सभी शब्दों में जब तक कि संदर्भ के लिए अन्यथा आवश्यक न हो, बहुवचन शामिल होगा और एक लिंग के संदर्भ में सभी लिंग शामिल होंगे|

आर्टिकल 2
ऋण, ब्याज इत्यादि

2.1 ऋण की राशि और अवधि

(क) ऋणदाता ने ऋण लेने के लिए ऋण लेने के उद्देश्य से/ संपत्ति के संबंध में, पहली अनुसूची में बताई गई राशि के अनुसार, यहां निर्धारित नियमों और शर्तों पर ऋण देने के लिए सहमति व्यक्त की है।

(ख) इस समझौते के तहत प्रदान किया गया ऋण दूसरी अनुसूची में निर्दिष्ट तिथि से शुरू होने वाली पहली अनुसूची में निर्दिष्ट अवधि के लिए होगा।

2.2 ब्याज

ब्याज की दर, बकाया राशि पर मासिक अंतराल के साथ मिश्रित, अर्थात्, ऋण की शेष राशि और बकाया ब्याज और लागत, शुल्क और खर्च बकाया, महीने के अंत में जैसा की पहली अनुसूची में बताई गई है|

2.3 ब्याज की गणना

(a) पहली अनुसूची में निर्धारित ब्याज दर ऋण सुविधा की अवधि के दौरान तब तक स्थिर रहेगी जब तक कि भारतीय रिजर्व बैंक या अन्य नियामक प्राधिकरणों द्वारा अनिवार्य न हो या मुद्रा बाजार की स्थितियों में अप्रत्याशित या असाधारण परिवर्तन न हो। ऐसी स्थिति में, पहली अनुसूची के प्रावधानों के बावजूद, उधारकर्ता ऐसी संशोधित दर पर ब्याज का भुगतान करने के लिए सहमत होता है और इस समझौते का अर्थ यह होगा कि यहाँ इस तरह की संशोधित दर का स्पष्ट रूप से यहां उल्लेख किया गया था।

(b) उधारकर्ता ऋणदाता को उस राशि की प्रतिपूर्ति करेगा या भुगतान करेगा जो केंद्र या राज्य सरकार द्वारा ऋण पर ब्याज (और/या अन्य शुल्क) पर लगाए गए किसी भी कर के कारण केंद्र या राज्य सरकार को भुगतान या देय हो सकता है। ऋणदाता द्वारा ऐसा करने के लिए कहे जाने पर भुगतान या प्रतिपूर्ति उधारकर्ता द्वारा की जाएगी|

2.4 वितरण का विवरण

उधारकर्ता, ऋणदाता द्वारा ऋण प्रदान करने के तरीके को अपने इच्छा के अनुसार इंगित करेगा। हालांकि, ऋणदाता के पास वितरण के तरीके को निर्धारित करने का एकमात्र विवेक होगा, जिसे इस समझौते के तहत उधारकर्ता को वितरण माना जाएगा, नई संपत्तियों की खरीद के मामले में, ऋण राशि, ऋणदाता द्वारा सीधे डीलर/निर्माता को वितरित की जाएगी और वितरण को उधारकर्ता को वितरित माना जाएगा, यह एक विकल्प हो सकता है| उपयोग की गयी संपतियों की खरीद के मामले में, ऋणदाता वितरण के तरीके का निर्धारण करेगा; यानी, या तो संपत्ति के मालिक/विक्रेता को या डीलर को या उधारकर्ता को और इस तरह के वितरण को इस समझौते के तहत विचार के अनुसार उधारकर्ता को वितरित माना जाएगा।

2.5 वितरण का तरीका

इस समझौते के तहत या शर्तों के तहत ऋणदाता द्वारा उधारकर्ता को किए जाने वाले सभी वितरण विधिवत रूप चेक के द्वारा "A/C Payee Only" के रूप में या डिमांड ड्राफ्ट या भारतीय बैंकिंग प्रणाली के तहत अनुमति प्राप्त धन के हस्तांतरण के किसी अन्य स्वीकृत तरीके से, ऋणदाता के विवेक पर क्रॉस और मार्क किये जायेंगे। ऐसे सभी चेक या हस्तांतरण के तरीके के संबंध में वसूली शुल्क या ऐसे अन्य शुल्क, यदि कोई हैं, तो उधारकर्ता को वहन करना होगा, चाहे उधारकर्ता या उसके बैंक द्वारा चेक के ट्रांज़िट/संग्रह/प्राप्ति के लिए लिया गया समय कुछ भी हो।

2.6 वितरण की शर्तें

इसमें निहित किसी भी विपरीत बात के होते हुए भी, ऋणदाता, उधारकर्ता को नोटिस द्वारा ऋण के आगे वितरण को निलंबित या रद्द कर सकता है यदि दिया गया ऋण पूरी तरह से आहरित नहीं किया गया हो या यदि धन का उपयोग अनुसूची-I में वर्णित अनुबंध के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए किया गया हो और इसे ऋणदाता द्वारा रद्द नहीं किया गया हो|

इसके अलावा, ऋणदाता अपने विवेकाधिकार पर स्वीकृत ऋण के संवितरण को रद्द/ स्थगित कर सकता है या स्वीकृत राशि से वितरित की जाने वाली राशि को कम कर सकता है या किसी भी अन्य शर्तों को लागू कर सकता है, यदि उधारकर्ता नियमों और शर्तों का पालन करने में विफल रहता है या यदि ऋणदाता को किसी भी समय उधारकर्ता की साख/विश्वसनीयता के बारे में कोई प्रतिकूल जानकारी प्राप्त होती है|

ऋणदाता पूरे ऋण को वापस ले सकता है, यदि ऋणदाता को पता चलता है कि उधारकर्ता/गारंटर द्वारा जमा किए गए दस्तावेज जाली हैं या उधारकर्ता/गारंटर द्वारा प्रदान किये गये दस्तावेज उचित नहीं हैं या ऋणदाता की आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं हैं|

2.7 फर्निशिंग स्टेटमेंट

ऋणदाता, प्रत्येक वर्ष के 31 मार्च को, उधारकर्ता को प्रत्येक वर्ष, 31 मार्च को आहरित लेन-देन का विवरण, वसूले गये ब्याज आदि दिखाते हुए, उधारकर्ता को भेज सकता है। जब तक उधारकर्ता इस विवरण के प्राप्त न होने की

सूचना नहीं देता है या विवरण प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर उसमें कोई विसंगति नहीं बताता है, यह माना जाएगा कि उधारकर्ता सहमत हो गया है और स्वीकार कर लिया है कि उसमें बताई गई राशि उसके खिलाफ देय और बकाया है|

2.8 प्रक्रिया शुल्क

उधारकर्ता ऋण के लिए आवेदन के समय और साथ में अनुसूची में बताए अनुसार ऋणदाता प्रकिया शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा| प्रकिया शुल्क की उक्त राशि उधारकर्ता को केवल तभी वापस की जाएगी जब उधारकर्ता ऋणदाता को ऋण देने के लिए अपनी स्वीकृति की सूचना देने से पहले ऋण प्राप्त नहीं करने के अपने इरादे को सूचित करता है।

2.9 ऋण की चुकौती

(क) ऋण का पुनर्भुगतान और उस पर ब्याज उधारकर्ता द्वारा किश्तों में किया जाएगा। किश्तों के संबंध में संख्या, देय तिथियां और राशि जैसे विवरण दूसरी अनुसूची में वर्णित हैं। पुनर्भुगतान अनुसूची संपूर्ण ऋण राशि अन्य देय राशियों, प्रभारों आदि के साथ वापस लेना ऋणदाता के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना है। इसके अलावा किस्त की गणना/निर्धारण ऋणदाता के किस्त की राशि, किश्तों की संख्या और उस पर ब्याज की पुनर्गणना के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा, जिसमें किसी भी स्तर पर यह पता चल सके की किश्तों की गणना गलत तरीके से की गई है। ये किश्तें द्वितीय अनुसूची के अनुसार देय होंगी|

(ख) पुनर्भुगतान या तो इलेक्ट्रॉनिक क्लीयरेंस सर्विस मैंडेट (ECS MANDATE) या NACH MANDATE (नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस) या ऑटो डेबिट मैंडेट्स (ADM) या उधारकर्ता के स्थायी निर्देश (SI) या चेक या ट्रांसफर के डिजिटल तरीके जैसे रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट (RTGS) / नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर (NEFT) / इंस्टेंट पेमेंट सर्विस (IMPS) / यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI) या स्वाइप और पेमेंट जैसे डेबिट कार्ड आदि, या नेट ट्रांसफर या डिमांड ड्राफ्ट द्वारा या नकद द्वारा उधारकर्ता के प्रेषण द्वारा (आयकर अधिनियम, 1 9 61 के अनुरूप) या भारतीय बैंकिंग प्रणाली के तहत अनुमत धन के हस्तांतरण के किसी अन्य स्वीकृत तरीके से अनुसूची- II में निर्दिष्ट तिथियों पर ऋणदाता को किया जायेगा और यह, अनुसूची के अनुसार शुरू होगा। उधारकर्ता/गारंटर स्वीकार करता है कि उसके द्वारा पुनर्भुगतान अनुसूची का कड़ाई से अनुपालन किया गया है जो कि इस/इन ऋणों को प्रदान करने के लिए एक अनिवार्य शर्त है। चेक या ECS/NACH/SI/ADM मैंडेट जिन्हें यहां संदर्भित किया गया है और इसमें कोई भी चेक या ECS/NACH/SI/ADM मैंडेट शामिल हैं जो ऋण/सेवाओं के पुनर्भुगतान के लिए सुरक्षा के रूप में जारी किए गए हैं।

(ग) यदि उधारकर्ता ऋणदाता को केवल कुछ चेक/ ECS/NACH/SI/ADM आदेश देता है, जिसमें केवल कुछ किस्तें शामिल हैं, लेकिन अनुबंध अवधि की सभी किस्तें नहीं हैं, तो उधारकर्ता ऋणदाता को वितरित करेगा, चाहे वह मांग की गई हो या नहीं शेष किश्तों के लिए ऋणदाता, शेष राशि की जांच / ECS/NACH/SI/ADM अनिवार्य है ताकि अनुसूची – II के अनुसार पूरी अनुबंध अवधि को कवर किया जा सके।

(घ) उधारकर्ता/गारंटर कोई अतिरिक्त/संशोधित/ताजा चेक/ ECS/NACH/SI/ADM मैंडेट प्रदान करेगा जैसा कि समय-समय पर ऋणदाता द्वारा अपेक्षित हो।

(ङ) उधारकर्ता किश्तों का शीघ्र और नियमित भुगतान सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होगा, भले ही उधारकर्ता ने ऋणदाता को सभी किस्तों के लिए चेक ECS/NACH/SI/ADM मैंडेट (ई-मैंडेट सहित) संपूर्ण अनुबंध अवधि या कुछ चेक जो अनुबंध अवधि के केवल एक हिस्से को कवर करते हैं वितरित किए गये हों।

(च) उधारकर्ता सहमत है कि समय अनुबंध का सार है|

(छ) किश्तों का भुगतान शुरू होगा और जारी रहेगा, भले ही डीलरों / निर्माता द्वारा उधारकर्ता को संपत्ति दी गई हो या नहीं और किसी भी कठिनाई के बावजूद जो उधारकर्ता का सामना कर रहा हो या कोई विवाद, आपत्तियां, विरोध, शिकायत या शिकायतें जो कि उधारकर्ता के पास डीलरों / निर्माता / किसी भी व्यक्ति के साथ या उसके खिलाफ या संपत्ति की डिलीवरी के संबंध में या संपत्ति के संबंध में ही हो सकता है|

(ज) उधारकर्ता को नियत तारीख पर नियमित रूप से किस्त का भुगतान करने के अपने दायित्व के बारे में कोई नोटिस, रिमाइंडर या सूचना नहीं दी जाएगी। किस्त का शीघ्र और नियमित भुगतान सुनिश्चित करना पूरी तरह से उधारकर्ता की जिम्मेदारी होगी|

(झ) इस समझौते के तहत और/या प्रचलित कानून के तहत ऋणदाता के किसी भी अन्य अधिकारों और उपायों के पूर्वाग्रह के बिना, इस समझौते के तहत ऋणदाता को किसी भी भुगतान में उधारकर्ता द्वारा किसी भी देरी की स्थिति में, ऋणदाता चार्ज करने का हकदार होगा इस तरह की पूरी बकाया राशि पर अनुसूची में वर्णित अतिरिक्त / दंड शुल्क, चाहे वह ऋण, ब्याज या यहां देय किसी अन्य शुल्क का हो| ऋणदाता इस तरह के गैर-भुगतान को विवाद के रूप में मानने का भी हकदार है जिसे इस समझौते के अनुच्छेद 23 के तहत मध्यस्थ को संदर्भित किया जा सकता है। उपरोक्त अतिरिक्त शुल्क चुकौती अनुसूची के सख्त अनुपालन के दायित्व को प्रभावित नहीं करेगा, क्योंकि यह ऋण प्रदान करने के लिए एक आवश्यक शर्त है।

(ञ) देय राशि या ब्याज की गणना के बारे में उठाए जा रहे किसी भी विवाद के संबंध में उधारकर्ता किसी भी किस्त के भुगतान को रोकने में सक्षम नहीं होंगे।

2.10 किस्त के भुगतान का तरीका

(क) यहां निर्धारित नियमों और शर्तों के अधीन, कारों/ जीपों के मामले में पुनर्भुगतान, चेक / इलेक्ट्रॉनिक मैंडेट / ट्रांसफर (जैसा भी मामला हो) के माध्यम से होगा। अन्य वाहनों के मामले में, पुनर्भुगतान चेक के माध्यम से या इलेक्ट्रॉनिक मैंडेट्स/ ट्रांसफर (जैसा भी मामला हो) या उधारकर्ता द्वारा नकद में प्रेषण या दूसरी अनुसूची में निर्दिष्ट तिथि पर ऋणदाता को डिमांड ड्राफ्ट द्वारा किया जाएगा, भले ही यह संपत्ति की सुपुर्दगी के संबंध में भी हो। उधारकर्ता स्वीकृत करता है कि उसके द्वारा पुनर्भुगतान अनुसूची का कड़ाई से अनुपालन ऋण प्रदान करने के लिए एक अनिवार्य शर्त है|

(ख) ऋणदाता द्वारा कोई भी चेक और बीमा प्रीमियम चेक/ इलेक्ट्रॉनिक मैंडेट जारी किए जाने से पहले उधारकर्ता को कोई नोटिस, अनुस्मारक या सूचना नहीं दी जाएगी। उधारकर्ता और/या गारंटर का यह कर्तव्य है कि वे किश्तों/प्रीमियमों के भुगतान की नियत तारीख पर या उसके बाद, जब तक कि ऋण खाते में सभी देय राशियों का पूरी तरह से भुगतान ना हो जाये और बंद न हो जाये, बैंक खाते में पर्याप्त शेष राशि बनाए रखें, ताकि किश्तों का भुगतान करने के लिए चेक/मैंडेट या अन्य प्रपत्र वापस ना आ जाएँ क्योंकि ये पर्याप्त धनराशि के अभाव में डिशऑनर हो जाते हैं| चेक या मैंडेट में ओवरड्यू मूल्य या पूर्ण या सुरक्षा मूल्य या ऐसे मूल्य के लिए हो सकता है, जिसे ऋणदाता ने इस समझौते के तहत उधारकर्ता द्वारा देय और भुगतान के रूप में निर्धारित किया है या उसी संपत्ति पर उधारकर्ता द्वारा कोई अन्य अतिरिक्त ऋण "सुरक्षा" और उधारकर्ता और/या गारंटर द्वारा लिया गया है और वे इस पर कोई आपत्ति नहीं उठाएंगे। यदि भुगतान की देय तिथि छुट्टी के दिन आती है, तो ऐसे मामलों में, उधारकर्ता और/या गारंटर तत्काल पूर्ववर्ती कार्य दिवस पर किश्त का भुगतान करने के लिए बाध्य हैं और पिछले कार्य दिवस पर इसका भुगतान करने में विफलता पर विलंबित अवधि के लिए किश्त की देय तिथि से भुगतान की प्राप्ति की वास्तविक तिथि तक की गणना की जाती है और इस पर ब्याज लगेगा। इसके अलावा, ऋणदाता उन शुल्कों के लिए, यदि कोई हैं जो इस तरह की प्रस्तुतियों पर उनके बैंकर द्वारा डेबिट किए जाते हैं, जिम्मेदार नहीं है। ऋणदाता आगे चेक या इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को इसकी वैधता तक कई बार प्रस्तुत करने का हकदार है और जबतक किश्तें देय हों, बकाया या चूक या हानि हो, उधारकर्ता/गारंटर भविष्य में ऐसी प्रस्तुतियों पर सवाल नहीं उठाएंगे।

(ग) यदि उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता केवल कुछ किश्तों को कवर करते हुए केवल कुछ पोस्ट-डेटेड चेक (PDC)/इलेक्ट्रॉनिक मैंडेट देता है, लेकिन अनुबंध अवधि की सभी किश्तों को नहीं, उधारकर्ता इनको ऋणदाता को वितरित करेगा , चाहे ऋणदाता द्वारा इनकी मांग की गई हो या नहीं, शेष किश्तों के लिए शेष राशि की जांच की जाएगी ताकि दूसरी अनुसूची के अनुसार पूरी अनुबंध अवधि को कवर किया जा सके।

(घ) उधारकर्ता द्वारा यह सहमत ली जाती है और समझाया जाता है कि किसी भी कारण से ऋणदाता द्वारा चेक/इलेक्ट्रॉनिक मैंडेट प्रस्तुत न करने से उधारकर्ता की ऋण चुकाने की देयता प्रभावित नहीं होगी। किसी भी कारण से ऋणदाता किसी भी तरह से देरी, चूक या नकदीकरण में उपेक्षा, किसी भी चेक / इलेक्ट्रॉनिक मैंडेट (पहले से दिए गए या ऋणदाता द्वारा ऋणदाता को दिए जाने वाले) के नुकसान या हानि के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।

(ड.) उधारकर्ता और सह-उधारकर्ता समझते हैं कि:

(च) किसी भी कारण से ऋणदाता द्वारा चेक/इलेक्ट्रॉनिक मैंडेट को प्रस्तुत ना कर पाने पर ऋण चुकाने के लिए उधारकर्ता की देयता को प्रभावित नहीं करेगा;

(छ) ऋणदाता किसी भी तरह से देरी, चूक या नकदीकरण में उपेक्षा, किसी भी चेक/ इलेक्ट्रॉनिक मैंडेट पहले से दिए गए या उधारकर्ता द्वारा ऋणदाता को दिए जाने वाले) के नुकसान के लिए जिम्मेदार नहीं होगा चाहे इसका कोई भी कारण हो। दूसरे शब्दों में, उधारकर्ता किश्तों के भुगतान के लिए तब तक जिम्मेदार है, जब तक कि किश्तों के संबंध में राशि ऋणदाता के खाते में जमा नहीं की जाती है। ऋणदाता किसी भी समय उधारकर्ता द्वारा किए गए भुगतान का प्रमाण मांग सकता है और उधारकर्ता इस मांग की तारीख से 5 दिनों के भीतर इसका सबूत प्रदान करेगा।

(ज) इस समझौते के तहत और/या प्रचलित कानून के तहत ऋणदाता के पास किसी भी अन्य अधिकारों या उपायों के पूर्वाग्रह के बिना, चेक के डिशऑनर होने या ECS या NACH मैंडेट के डिशऑनर होने या पहली प्रस्तुति पर बैंकों द्वारा स्थायी निर्देश या कोई अन्य मान्यता प्राप्त मोड के डिशऑनर होने पर उधारकर्ता इसके लिए जिम्मेदार होगा। दूसरी प्रस्तुति पर डिशऑनर के मामले में, एक अन्य शुल्क, जैसा कि पहली अनुसूची में कहा गया है, ऐसे डिशऑनर हुए चेक के संबंध में लगाया जाएगा। चेक के डिशऑनर या इलेक्ट्रॉनिक मैंडेट या स्थायी निर्देश या किसी अन्य मान्यता प्राप्त मोड (पहली और दूसरी प्रस्तुति दोनों पर) के डिशऑनर होने पर चार्ज की मात्रा भी पहली अनुसूची में निर्धारित की गई है। डिशऑनर पर प्रभार की वसूली नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, और पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट, 2007 के तहत ऋणदाता के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, या इसी तरह के कार्यों के तहत संशोधित और वर्तमान में लागू और अन्य अधिकारों के लिए बिना किसी पूर्वाग्रह के है, जो ऋणदाता के पास इस समझौते के तहत या कानून या इक्विटी के तहत है|

(झ) जब भुगतान चेक/इलेक्ट्रॉनिक मैंडेट के माध्यम से नहीं किया जाता है, तो उधारकर्ता समय-समय पर ऋणदाता के विवेक पर संशोधन के अधीन पहली अनुसूची में बताए गए अनुसार एक फ्लैट शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

(ञ) जहां धन बाहरी चेक के माध्यम से भेजा जाता है, उधारकर्ता समय-समय पर ऋणदाता के विवेक पर संशोधन के अधीन पहली अनुसूची में शुरू किए गए शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

(ट) "उधारकर्ता इस समझौते की अनुसूची -1 ए में उल्लिखित यात्रा व्यय और अन्य शुल्कों का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा"

(ढ) "पहली अनुसूची और अनुसूची -1 ए में उल्लिखित शुल्क उधारकर्ता को सूचना के साथ परिवर्तन के अधीन हैं और उधारकर्ता सूचना की तारीख से ऐसे संशोधित शुल्क का भुगतान करने के लिए सहमत है"

2.11 किश्तों में परिवर्तन और पुनर्निर्धारण

यदि ऋणदाता परिस्थितियों में उपयुक्त समझता है, तो ऋणदाता के अनुरोध पर, किश्तों में परिवर्तन या पुनर्निर्धारण या ऋण की पुनर्रचना (चाहे नियामक हो या नहीं) इस तरह और उस हद तक ऋणदाता के अनुरोध पर हकदार होगा। या अपने विवेकाधिकार में, उधारकर्ता को उचित नोटिस के साथ निर्णय लें और उधारकर्ता द्वारा उक्त परिवर्तन और/या पुनर्निर्धारण और/या ऋण की पुनर्रचना के अनुसार दूसरी अनुसूची में कुछ भी बताए जाने के बावजूद अनुसूचित या पुनर्गठित किश्तों में परिवर्तन या पुनर्भुगतान की तारीख से पुनर्भुगतान किया जाएगा।

2.12 उधारकर्ता, सह-उधारकर्ता और गारंटर का संयुक्त और कई होने का दायित्व

सह-उधारकर्ताओं और गारंटर की देयता संयुक्त और कई है और उधारकर्ता के साथ सह-अस्तित्व में है। ब्याज, अतिरिक्त वित्त शुल्क आदि के साथ ऋण चुकाने के लिए सह-उधारकर्ताओं और गारंटर की देयता और इस समझौते/और किसी भी अन्य समझौते (ओं) के नियमों और शर्तों का पालन करने के लिए, दस्तावेजों को निष्पादित किया जा सकता है या किया जा सकता है इस ऋण या किसी अन्य ऋण या ऋण के संबंध में ऋणदाता के साथ उधारकर्ता, संयुक्त और कई हैं और परिणामस्वरूप ऋणदाता के पास ऋण और उधारकर्ता के द्वारा ऋणदाता को भुगतान किये जाने वाले अन्य शुल्कों की वसूली के लिए या दोनों के खिलाफ कार्रवाई करने का एकमात्र विवेकाधिकार होगा।

2.13 ब्याज दर में परिवर्तन

यदि ऋणदाता, पूर्ण या आंशिक रूप से ऋण राशि के वितरण से पहले ब्याज दर में संशोधन करता है, तो इस प्रकार बढ़ी हुई दर को उधारकर्ता को फोन, एसएमएस, पोस्ट या ऐसे अन्य माध्यमों (डिजिटल सहित) के माध्यम से सूचित किया जाएगा, जैसा कि ऋणदाता द्वारा निर्धारित किया जा सकता है। एक बार सूचित और स्पष्ट रूप से उधारकर्ता द्वारा स्वीकार कर ली गई संशोधित दर, ब्याज दर में इस तरह के संशोधन की तारीख से तुरंत पूरी ऋण राशि पर लागू होगी।

2.14 ब्याज दर और शुल्क में परिवर्तन की अधिसूचना

ऋणदाता द्वारा लगाए गए ब्याज दर और अन्य शुल्कों में परिवर्तन की स्थिति में, इसे ऋणदाता द्वारा प्रदर्शित / अधिसूचित किया जाएगा / समाचार पत्रों में / ऋणदाता की वेबसाइट में प्रकाशित किया जाएगा / खातों के विवरण में प्रविष्टि के माध्यम से किया जाएगा/ पुनर्भुगतान अनुसूची उधारकर्ता और/या गारंटर को भेजी जाती है और ऐसे मामलों में, उधारकर्ता और गारंटर उस समय पर लागू या पार्टियों के बीच सहमति के अनुसार संशोधित ब्याज दर या शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होते हैं। उधारकर्ता और गारंटर ब्याज दर और/या शुल्कों में इस तरह के संशोधन के अनुसार ऋणदाता को भुगतान करने के लिए समझते हैं और सहमत होते हैं। उधारकर्ता और गारंटर ने समय-समय पर लागू होने वाले सभी ब्याज, शुल्क और करों का भुगतान करने के लिए सहमत हुए हैं और अपनी सहमति व्यक्त की है|

2.15 **विलंबित भुगतान पर ब्याज या अतिरिक्त वित्त शुल्क या दंडात्मक शुल्क**

समझौते के तहत ऋणदाता को किसी भी भुगतान में उधारकर्ता द्वारा किए गए किसी भी देरी या चूक की स्थिति में, ऋणदाता अनुसूची - I या ऋणदाता की वेबसाइट में होस्ट की गई दर पर समय-समय पर, संपूर्ण बकाया राशि पर देय तिथि से ऋणदाता को वास्तविक राशि का भुगतान/जमा करने तक, चाहे वह ऋण या ब्याज या इसके तहत देय कोई अन्य शुल्क हो पर ब्याज वसूलने का हकदार होगा।। उक्त ब्याज को पूंजीकृत/मिश्रित किया जाएगा और उधारकर्ता को दिए गए ऋण के रूप में माना जाएगा और ऐसी अवैतनिक राशियों पर ब्याज लगाया जाएगा। ऋणदाता ऐसे गैर-भुगतान को विवाद के रूप में मानने का भी हकदार है जिसे समझौते की शर्तों के अनुसार मध्यस्थ को भेजा जा सकता है।

2.16 **अन्य शुल्क**

उधारकर्ता और गारंटर ऐसे अन्य शुल्कों का भुगतान करेंगे, जो लागू हो सकते हैं, लेकिन ऋण प्रक्रिया, दस्तावेजीकरण, स्टाम्प शुल्क और कमीशन, RTO सहित वाहन पंजीकरण, संग्रह, ROC फाइलिंग और संशोधन, CERESEI पंजीकरण, NEESL IUपंजीकरण /नवीनीकरण, CIBIL रिपोर्ट जनरेशन, एसेट वैल्यूएशन, चेक / रीपेमेंट डिसऑनर्स, कैश हैंडलिंग, प्री-क्लोजर, बुलेट पेमेंट, अकाउंट का डुप्लिकेट स्टेटमेंट, रिपॉजिशन और यार्ड रेंट, डुप्लिकेट / स्पेशल एनओसी, लोन कैंसिलेशन / री-बुकिंग, लोन रिस्ट्रक्चरिंग, अनुसूची - I में निर्दिष्ट दरों पर देय तिथि स्थानांतरण, चुकौती मोड स्वैप, यात्रा और संग्रह अनुवर्ती, व्यापार प्रमाण पत्र आदि के लिए देय शुल्क तक सीमित नहीं है।

2.17 **कर**

उधारकर्ता ऋणदाता को ऐसी राशि की प्रतिपूर्ति करेगा जो ऋणदाता द्वारा केंद्र या राज्य सरकार को ब्याज और/या अन्य शुल्कों पर क्रेडिट सुविधा पर लगाए गए किसी भी कर के कारण भुगतान किया गया हो या देय हो (जिसमें गुड्स तक सीमित नहीं है) और सेवा कर (GST) और/या उपकर केंद्र/राज्य सरकार द्वारा क्रेडिट सुविधा पर ब्याज पर या मौजूदा कानून में बदलाव के कारण या किसी नए कानून के लागू होने के कारण लगाया जाता है। प्रतिपूर्ति या भुगतान उधारकर्ता द्वारा किया जाएगा जब भी ऋणदाता द्वारा ऐसा करने के लिए कहा जाएगा|

आर्टिकल 3

सुरक्षा

3.1 ऋणदाता द्वारा यहां उल्लिखित नियमों और शर्तों के अधीन उधारकर्ता को ऋण सुविधा प्रदान करने या देने के लिए सहमत होने पर, उधारकर्ता एतदद्वारा एक विशेष प्रथम शुल्क के माध्यम से ऋणदाता के पक्ष में दृष्टिबंधक/सहमत है और संपत्ति के साथ-साथ उक्त परिसंपत्ति के अतिरिक्त या उसमें, चाहे वर्तमान हो या भविष्य और सुधार, नवीनीकरण और प्रतिस्थापन, जैसा कि पहली अनुसूची के तहत वर्णित है, जिसके लिए ऋण सुविधा ली जा रही है उसके लिए ऋणदाता के पक्ष में शुल्क लेता है।। इस संबंध में उधारकर्ता ने यहां संलग्न प्रपत्र में ऋणदाता के पक्ष में अप्रतिसंहरणीय मुख्तारनामा भी निष्पादित किया है। उधारकर्ता इस तरह के और दस्तावेजों को निष्पादित करने के लिए भी सहमत होता है और ऐसी फाइलिंग करता है जो ऋणदाता द्वारा संपत्ति पर ऋणदाता के प्रभार को पूरा करने के लिए आवश्यक हो सकता है।

3.2 इस समझौते पर हस्ताक्षर करने या संपत्ति की सुपुर्दगी, जो भी पहले हो, पर तुरंत गिरवी माना जाएगा|

3.3 इसके अनुच्छेद 3.1 में उधारकर्ता द्वारा सृजित प्रभार ऋणकर्ता द्वारा उधारकर्ता को दिए गए या दिए जाने वाले ऋण के देय पुनर्भुगतान और भुगतान के लिए सुरक्षा के रूप में होगा और सभी शुल्क और ब्याज, लागत और खर्च किए गए या होने वाले इसके तहत ऋणदाता द्वारा किए गए और देय अन्य सभी धन या जो उधारकर्ता द्वारा ऋणदाता की शर्तों के अनुसार देय हो सकते हैं|

3.4 यहां उधारकर्ता द्वारा सृजित प्रभार तब तक जारी रहेगा जब तक कि ऋणदाता यहां सृजित प्रतिभूति का निर्वहन करने वाला प्रमाणपत्र जारी नहीं करता और दिवालिया, लेनदारों के साथ व्यवस्था, मानसिक अक्षमता समापन (स्वैच्छिक या अन्यथा)) या उधारकर्ता के किसी विलय या समामेलन, पुनर्निर्माण, प्रबंधन का अधिग्रहण, विघटन या राष्ट्रीयकरण (जैसा भी मामला हो) द्वारा प्रभावित नहीं करेगा|

3.5 यदि संपत्ति को वितरित नहीं किया गया है या वाहन के मामले में समझौते के निष्पादन के समय उधारकर्ता के नाम पर पंजीकृत नहीं किया गया है, तो वाहन के विवरण जो ऐसे समय में उपलब्ध नहीं हैं और उन्हें सूचित किया जाएगा ऐसी सुपुर्दगी और/या पंजीकरण के एक सप्ताह के भीतर उधारकर्ता द्वारा ऋणदाता को लिखा जाना और इस तरह के विवरणों को यहां अनुसूची के एक भाग और पार्सल के रूप में पढ़ा जाएगा जैसे कि वे इस समझौते के निष्पादन के समय उसमें शामिल किए गए थे। उधारकर्ता इस दलील को स्वीकार नहीं करने के लिए सहमत है कि इस समझौते के निष्पादन की तिथि पर संपत्ति या उसके किसी भी हिस्से के विवरण उपलब्ध नहीं थे, शुल्क निष्क्रिय दोषपूर्ण या अमान्य या किसी भी तरह से अप्रवर्तनीय है|

3.6 उधारकर्ता वाहन को ऐसे समय के भीतर पंजीकृत करेगा जैसा कि उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किया गया है।

3.7 उधारकर्ता एतद्द्वारा पुष्टि करता है कि उधारकर्ता को संपत्ति (संपत्तियों) के सभी विवरणों के बारे में पता है।

3.8 उधारकर्ता ने ऋण की राशि और उस पर ब्याज के लिए सुरक्षा के रूप में एक वचन पत्र भी निष्पादित किया है|

3.9 ऋणदाता को तीसरे पक्ष से गारंटी (ओं) सहित ऐसी अतिरिक्त प्रतिभूतियों को प्रस्तुत करने की आवश्यकता हो सकती है, जैसा कि ऋणदाता अपने विवेकाधिकार में उचित समझे। ऐसी स्थिति में उधारकर्ता ऐसे अनुबंध, समझौते, उपक्रम, दस्तावेज, मुख्तारनामा प्रदान करेगा जिनकी ऋणदाता द्वारा आवश्यकता हो सकती है। उधारकर्ता ऐसे किसी भी अनुबंध समझौते, उपक्रमों, दस्तावेजों आदि को रद्द या समाप्त नहीं करेगा, जब तक कि इस समझौते के तहत उधारकर्ता द्वारा ऋणदाता को देय और देय सभी राशियों का भुगतान पूर्ण रूप से और ऋणदाता द्वारा प्रमाणित नहीं किया जाता है।

आर्टिकल 4
भुगतान का समायोजन

4.1 ऋणदाता को ऋण समझौतों के तहत देय और किसी भी देय भुगतान को उचित करने का अधिकार होगा और उधारकर्ता द्वारा बकाया राशि के लिए किया गया है, जिस क्रम में ऋणदाता निम्नलिखित के लिए उपयुक्त है:

(i) पूर्व भुगतान पर प्रीमियम;

(ii) लागत, शुल्क, खर्च और अन्य खर्चे;

(iii) कानूनी कार्यवाही को बनाए रखने की लागत सहित लागत, शुल्क, व्यय और अन्य धन पर ब्याज, यदि कोई हो;

(iv) लागत पर ब्याज, चेक बाउंस शुल्क, स्वैप शुल्क, व्यय और अन्य देय धन आदि|

(v) सेवा शुल्क;

(vi) ऋण समझौते के अनुसार देय अतिरिक्त वित्त शुल्क, सहित ब्याज, यदि कोई हो;

(vii) ऋण समझौते के तहत बकाया और देय मूलधन की किश्तों का पुनर्भुगतान|

(viii) उक्त अनुबंध के तहत उधारकर्ता या गारंटर के रूप में क्षमता पर ध्यान दिए बिना, किसी अन्य अनुबंध के तहत देय राशि का पुनर्भुगतान जैसे टायर वित्त, फ्लीट कार्ड सुविधा, बीमा वित्त आदि।

(ix) किसी भी ऋण या अन्य खाते (खातों) के खिलाफ किए गए भुगतानों को समायोजित करें, यदि उधारकर्ता के पास वैध मार्किंग द्वारा या अन्यथा ऋणदाता के साथ एक से अधिक ऋण खाते हैं।

आर्टिकल 5
संपत्ति की लागत के लिए उधारकर्ता का योगदान

5.1 ऋणदाता द्वारा ऋण के वितरण से पहले, उधारकर्ता अपने द्वारा डीलरों / निर्माण / किसी भी व्यक्ति को संपत्ति की लागत के लिए अपने स्वयं के योगदान के रूप में किए गए भुगतान और प्रोफार्मा चालान दिखाते हुए ऋणदाता दस्तावेज प्रस्तुत करेगा।

आर्टिकल 6
वितरण के लिए शर्तें

7.1 ऋण समझौतों के तहत किसी भी वितरण के लिए ऋणदाता का दायित्व शर्तों के अधीन होगा कि:-

(क) उधारकर्ता ने सुरक्षा बनाई है, गारंटी दी है और ऋणदाता की संतुष्टि के लिए वचन पत्र और अन्य सभी आवश्यक दस्तावेजों को निष्पादित किया है जैसा कि ऊपर अनुच्छेद 3 में ऋणदाता के पक्ष में निर्धारित किया गया है:

(ख) उधारकर्ता द्वारा चूक की कोई घटना न होना:

(ग) कोई 'असाधारण' या अन्य परिस्थितियाँ नहीं हुई हैं जो उधारकर्ता के लिए इस समझौते के तहत अपने दायित्व को पूरा करना असंभव बना देंगी|

आर्टिकल 7
उधारकर्ता का प्रतिनिधित्व

7.1 उधारकर्ता के पास इस अनुबंध में प्रवेश करने और निष्पादित करने के लिए पर्याप्त कानूनी क्षमता है। उधारकर्ता को किसी भी तरीके से प्रतिबंधित नहीं किया गया है या किसी भी कानून, अधिनियम, निर्णय, डिक्री, निर्णय, अनुबंध या अन्यथा के तहत इस समझौते में प्रदान किए गए तरीके से दायित्वों को निष्पादित करने और पूरा करने से रोका नहीं गया है। निष्पादन पर, यह समझौता इस समझौते के संदर्भ में उसके खिलाफ लागू करने योग्य उधारकर्ता की एक वैध कानूनी रूप से बाध्यकारी प्रतिबद्धता होगी। उधारकर्ता (एक कंपनी होने के मामले में) विधिवत रूप से शामिल है और भारत के कानूनों के तहत इस समझौते में प्रवेश करने के लिए शक्ति के साथ मौजूद है, जिसमें वह है या वह एक पक्ष होगा|

7.2 यहां बंधक की गई संपत्ति पर किसी प्रकार का कोई भार या कोई ग्रहणाधिकार नहीं है।

7.3 उन्होंने इस समझौते के संबंध में आवश्यक सभी प्राधिकरणों, स्वीकृतियों, सहमति, लाइसेंस और अनुमतियों को पूर्ण बल और प्रभाव देने के लिए संपार्श्विक दस्तावेज और बंधक संपत्ति के सभी आवश्यक दस्तावेज प्राप्त किये हैं। उधारकर्ता ने उसके द्वारा देय सभी करों और वैधानिक देय राशि का भुगतान किया है और किसी भी व्यक्ति से कोई मांग, दावा या नोटिस प्राप्त नहीं किया है|

7.4 उधारकर्ता समझौते की अवधि के दौरान हर समय यह सुनिश्चित करेगा कि वाहन चलाने वाले व्यक्ति के पास एक वैध ड्राइविंग लाइसेंस है जो उसे वाहन चलाने का अधिकार देता है।

7.5 उधारकर्ता के खिलाफ किसी भी प्रकृति के उधारकर्ता के खिलाफ कोई भी मुकदमा, कार्रवाई या दावा लंबित नहीं है या दायर या किए जाने की संभावना है (चाहे दीवानी या आपराधिक या अन्यथा)|

आर्टिकल 8
उधारकर्ता के अनुबंध/उपक्रम

उधारकर्ता करेगा

8.1 समझौते की पहली अनुसूची में उनके द्वारा बताए गए उद्देश्य के लिए संपूर्ण ऋण का उपयोग करें|

8.2 किसी भी घटना या परिस्थितियों को तुरंत सूचित करें, जो इस समझौते के पूरा होने में देरी के कारण के रूप में काम कर सकती हैं|

8.3 सभी कानूनों और नियमों आदि का विधिवत और समय पर पालन करें और संपत्ति के संबंध में लगाए गए या लगाए जाने योग्य सभी शुल्कों का भुगतान करें। वह संपत्ति के उपयोग, संचालन और रखरखाव और उससे उत्पन्न होने वाले किसी भी दायित्व के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होगा|

8.4 सुनिश्चित करें कि आग, दंगों, नागरिक हंगामे, बाढ़ और इस तरह की व्यापक देयता के लिए जोखिम सहित सभी जोखिमों और खतरों को कवर करने वाले किसी भी बीमाकर्ता के साथ संपत्ति का हमेशा विधिवत और उचित रूप से बीमा किया जाता है, जिसके लिए संपत्ति सामान्य रूप से उजागर होती है और असीमित तृतीय पक्ष देयता जोखिम, ऋण की सुरक्षा की सुरक्षा के लिए और यह सुनिश्चित करने के लिए कि बीमा पॉलिसी पर ऋणदाता का ग्रहणाधिकार लाभार्थी के रूप में अंकित है|

8.5 ऋणदाता को संपत्ति के किसी भी नुकसान या क्षति के बारे में तुरंत सूचित करें, जो उसे किसी भी अप्रत्याशित घटना या भगवान के कार्य, जैसे भूकंप, बाढ़, आंधी, चोरी या आंधी, आदि या अन्यथा के कारण भुगतना पड़ सकता है|

8.6 इस समझौते, संपार्श्विक दस्तावेजों और बंधक संपत्ति के संबंध में आवश्यक या प्राप्त सभी प्राधिकरण, स्वीकृति, सहमति, लाइसेंस और अनुमतियों को प्राप्त करने और पूर्ण बल और प्रभाव देने के लिए आवश्यक सभी कदम उठाएं।

8.7 ऋणदाता की लिखित सहमति के बिना किसी भी प्रकार की बिक्री, पट्टा, हस्तांतरण, प्रभार सृजित, दृष्टिबंधक या किसी भी प्रकार का भार उत्पन्न नहीं करना, या संपत्ति के कब्जे के साथ समर्पण या अन्यथा जो भी हो, किसी भी तरह से भाग नहीं लेना चाहिए। संपत्ति के किसी भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हस्तांतरण को आपराधिक विश्वासघात माना जाएगा और धोखाधड़ी का मामला ऋणदाता को प्राथमिकी दर्ज करने / आगे बढ़ाने / या उधारकर्ता के खिलाफ आपराधिक शिकायत करने का अधिकार देता है। कथित बंधक संपत्ति एक जमानतदार के रूप में अपनी क्षमता में उधारकर्ता की निगरानी में है|

8.8 संपत्ति को अच्छे प्रकार और स्थिति में बनाए रखेगा और ऋण के लंबित रहने के दौरान सभी आवश्यक मरम्मत, परिवर्धन और सुधार करेगा।

8.9 अदाकर्ता बैंक के खाते में PDC/NACH या उसके द्वारा जारी किए गए अन्य इलेक्ट्रॉनिक आदेश के भुगतान के लिए जब कोई किस्त देय हो और उसके बाद किसी भी पोस्ट-डेटेड चुकौती चेक के ऑनर के लिए उस दिन पर्याप्त शेष राशि बनाए रखें|

8.10 सभी सार्वजनिक मांगों जैसे माल और सेवा कर (GST), सड़क कर, मोटर वाहन कर, हरित कर, लाइसेंस/ परमिट शुल्क, आयकर और अन्य सभी करों और राजस्वों का भुगतान करना जारी रखेगा, जिनका अभी या इसके बाद मूल्यांकन किया गया है, सरकार, नगर निगम, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण (वाहन के मामले में) या अन्य प्राधिकरण द्वारा लगाया गया, भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार या स्थानीय प्राधिकरण को देय और ऋणदाता द्वारा मांग पर, प्रत्येक रसीद का उत्पादन करेगा शुल्क, कर, आकलन या अन्य व्यय और एतद्द्वारा पुष्टि करता है कि, वर्तमान में, ऐसे करों और राजस्वों का कोई देय और बकाया नहीं है|

8.11 संपत्ति के एक नया वाहन होने की स्थिति में, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (चाहे वह डीलर / विक्रेता द्वारा किया गया हो या नहीं) के तहत उपयुक्त प्राधिकारी के साथ संपत्ति को पंजीकृत करवाएं और वाहन पर दृष्टिबंधक का प्रभार प्राप्त करें, विधिवत पृष्ठांकित और ऋणदाता के पक्ष में पंजीकरण प्रमाण पत्र में दर्ज करवाएं। संपत्ति के रूप में एक इस्तेमाल किए गए वाहन होने की स्थिति में, उधारकर्ता यह सुनिश्चित करेगा कि वाहन की आरसी बुक पर ऋणदाता के पक्ष में ऐसी संपत्ति (यों) के दृष्टिबंधक को इंगित करने वाले वाहन की आरसी बुक पर अपेक्षित पुष्टि की गयी है।

8.12 संपत्ति की सुपुर्दगी लेने या इस समझौते के निष्पादन के 30 दिनों के भीतर, जो भी पहले हो, पंजीकरण प्रमाण पत्र की एक प्रति जमा करें, संपत्ति के लिए प्रासंगिक परमिट (जैसा लागू हो) एक वाहन होने के लिए जिसके लिए ऋण लिया गया है ऐसे वाहनों की सुपुर्दगी करें|

8.13 वाहन होने के नाते, अन्यथा वाहन (नों) पर अपने शुल्क का समर्थन करने के लिए ऋणदाता को आवेदन देने के अलावा संपत्ति के लिए किसी भी डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन बुक के लिए आवेदन ना करें|

8.14 संपत्ति के नुकसान या चोरी, संपत्ति के संबंध में बीमा कंपनी के साथ किसी भी दावे को दर्ज करने, या संपत्ति की पंजीकरण पुस्तक या बीमा पॉलिसी के नुकसान, विनाश या गुम होने के बारे में ऋणदाता को संपत्ति से संबंधित, इस तरह के नुकसान या दावे के दर्ज होने के तीन कार्य दिवसों के भीतर लिखित रूप में सूचित करें। ऐसी स्थिति में, ऋणदाता इस समझौते के तहत अपने अन्य अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, कानून या इक्विटी में, उधारकर्ता को ऐसे कदम उठाने की आवश्यकता हो सकती है जो ऋणदाता के हितों की रक्षा के लिए आवश्यक हो सकते हैं।

8.15 सरकार, नगर निगम, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण या अन्य प्राधिकरण द्वारा सभी दरों, निर्धारणों, करों और अन्य आउटगोइंग का भुगतान करेगा और ऋणदाता द्वारा मांग पर शुल्कों, करों, आकलनों या अन्य व्ययों की प्रत्येक प्राप्ति की जाएगी जो अब इसके बाद लगाए जा सकते हैं, या बंधक संपत्ति के लिए देय हो सकते हैं|

8.16 बंधक संपत्ति या उसके किसी हिस्से के लिए किसी भी लगाव या संकट को भुगतने या पीड़ित होने की अनुमति नहीं देता है या किसी भी चीज की अनुमति नहीं देता है जो ऋणदाता की लिखित सहमति के बिना यहां सुरक्षा को पूर्वाग्रह या खतरे में डालता है। संपत्ति के किसी भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हस्तांतरण को आपराधिक विश्वासघात और धोखाधड़ी का मामला माना जाएगा, और ऋणदाता को उधारकर्ता के खिलाफ FIR या आपराधिक शिकायत दर्ज करने/ आगे बढ़ाने का अधिकार होगा जैसा कि ऋणदाता उचित समझे।

8.17 भारत में लागू दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 या इसी तरह के किसी अन्य अधिनियम के तहत किसी कानूनी कार्रवाई / याचिका दायर करने या एक डिक्री को लागू करने के लिए याचिका दायर करने के बारे में जानकारी प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर उधारकर्ता या गारंटर के विरुद्ध धन/संपत्ति की वसूली के लिए ऋणदाता को लिखित रूप में सूचित करें। ऐसा करने में किसी भी प्रकार की विफलता को चूक की घटना के रूप में माना जाएगा और उधारकर्ता के खिलाफ ऋणदाता द्वारा बकाया ऋण की वसूली के लिए आवश्यक कार्रवाई शुरू की जाएगी।

8.18 भुगतान करने का वचन देता है या पहले से ही ऋणदाता द्वारा किए गए मामले में, ऋणदाता द्वारा देय सभी करों या शुल्कों की प्रतिपूर्ति ऋणदाता द्वारा की जाती है या , उधारकर्ता की ओर से संपत्ति बेचने में उधारकर्ता के विश्वास पर ऋणदाता के द्वारा देय माल और सेवा कर (GST) आदि तक सीमित नहीं है।

8.19 वचन देता है और पुष्टि करता है कि उसने ऋण की मंजूरी/वितरण के लिए ऋणदाता के किसी कर्मचारी/एजेंट से कोई रिश्वत, कमीशन या दलाली या किसी भी प्रकार का प्रतिफल लेने/भुगतान करने के लिए न तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सहमति दी है और न ही भुगतान लिया/भुगतान किया है।

8.20 वचन देते हैं और आश्वासन देते हैं कि ऋण की अवधि के दौरान, ऋणदाता के किसी भी कर्मचारी/एजेंट को कोई पैसा या ऋण देय राशि का भुगतान नहीं किया जाएगा, या तो नकद या हस्तांतरण/जमा के रूप में अपने व्यक्तिगत या अन्य बैंक खातों में ऋणदाता के अलावा अन्य बैंक खातों में जमा नहीं किया जाएगा।

8.21 वचन देते हैं और आश्वासन देते हैं कि वह एक वैध प्रणाली से उत्पन्न इलेक्ट्रॉनिक नकद रसीद एकत्र किए बिना किसी भी देय ऋण / किस्त का भुगतान नहीं करेगा|

8.22 ऋणदाता की लिखित सहमति के बिना किसी भी प्रकृति का भार या संपत्ति पर ग्रहणाधिकार न बनाएं|

8.23 अपने कानूनी प्रतिनिधियों का विवरण घोषित करता है, जो उसकी संपत्ति के हकदार होंगे|

8.24 अपने निदेशक मंडल में निदेशक के रूप में किसी भी व्यक्ति को शामिल नहीं किया है और किसी कंपनी के बोर्ड में एक प्रमोटर या निदेशक के रूप में शामिल नहीं किया है (उधारकर्ता के एक कंपनी होने के मामले में), जिसे RBI द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार "विलफुलडिफॉल्टर" के रूप में पहचाना गया है"। उधारकर्ता आगे वचन देता है कि यदि ऐसा व्यक्ति उधारकर्ता कंपनी के बोर्ड में पाया जाता है, तो वह उस व्यक्ति को अपने बोर्ड से हटाने के लिए त्वरित और प्रभावी कदम उठाएगा।

8.25 कंपनी रजिस्ट्रार (ROC) (उधारकर्ता के एक कंपनी होने के मामले में) और/या CERSAI, कानूनी इकाई पहचानकर्ता, जैसा भी मामला हो, के साथ वित्त पोषित संपत्ति पर चार्ज बनाने और पंजीकृत करने का वचन देता है, जिसकी लागत उधारकर्ता द्वारा वहन किया जाएगा। निर्धारित समय सीमा के भीतर चार्ज नहीं बनाने की स्थिति में, ऋणदाता ROC/ CERSAI / लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर के साथ संबंधित फॉर्म दाखिल कर सकता है और फंडेड एसेट पर चार्ज बना सकता है। उधारकर्ता ऋणदाता के ऋण खाते में डेबिट किए जा सकने वाले शुल्क को बनाने और पंजीकृत करने में ऋणदाता द्वारा किए गए लागत / शुल्क की प्रतिपूर्ति करने के लिए सहमत है।

8.26 पुष्टि करें कि उन्होंने न तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भुगतान करने के लिए सहमति व्यक्त की है और न ही किसी भी कमीशन या दलाली या किसी भी प्रकार के निदेशक या किसी भी व्यक्ति को, जो कि गारंटर के रूप में खड़ा है, जैसा भी मामला हो, और वह भुगतान नहीं करेगा।

8.27 इस तरह के नियमों, कार्यों, आश्वासनों, मामलों और चीजों को करने का वचन देता है जो ऋणदाता द्वारा यहां बनाई गई सुरक्षा को और सुनिश्चित करने और पुष्टि करने के लिए आवश्यक हो सकता है और इसके द्वारा प्रदान की गई अधिकार शक्तियां और उपाय इस संदर्भ में आवश्यक होने पर अपनी लागत पर ऐसे दस्तावेज (दस्तावेजों) को प्रबंधित और निष्पादित करते हैं।

8.28 ऋणदाता को हर्जाना देने के लिए और सभी लागत, व्यय, दावों और कार्यों (दुर्घटनाओं, क्षति या अन्यथा के मामले में तीसरे पक्ष की देयता सहित) से हानिरहित रखने के लिए और कानूनी लागत, शुल्क और संपत्ति का कब्जा लेने, बीमा और बिक्री करने की लागत सहित सभी भुगतान और खर्चों को पूरा करने के लिए सहमत हैं।

8.29 वह नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड या किसी अन्य फोरम के तहत किसी भी उपाय का पीछा करते हुए ऋणदाता द्वारा किए गए खर्च के साथ-साथ उस पर ब्याज के लिए भी उत्तरदायी होगा।

8.30 सुनिश्चित करें कि वह ऋणदाता के नियमों से पूरी तरह परिचित है, जैसा कि समय-समय पर सूचित किया जाता है।

8.31 एतद्द्वारा पुष्टि करता है कि ली गई ऋण राशि का उपयोग किसी भी रूप में सोने की खरीद के लिए नहीं किया जाएगा, जिसमें प्राथमिक सोना, सोना बुलियन, सोने के आभूषण, सोने के सिक्के, गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ETF) की इकाइयां और गोल्ड म्यूचुअल फंड की इकाइयां शामिल हैं।

8.32 **गारंटी:** यदि ऋणदाता की आवश्यकता होती है, तो उधारकर्ता ऋणदाता द्वारा प्रदान किए गए फॉर्म में, अतिरिक्त सुरक्षा के रूप में, ऋणदाता को स्वीकार्य तीसरे पक्ष द्वारा जारी गारंटी (यों) को प्रस्तुत करेगा।

आर्टिकल 9

संपत्ति की कीमत में संशोधन

9.1 यदि इस समझौते पर हस्ताक्षर करने की तारीख के बाद परिसंपत्ति की कीमत को ऊपर की ओर संशोधित किया जाता है, तो और उस स्थिति में उधारकर्ता उत्तरदायी होगा, इस तरह के संशोधित मूल्य पर संपत्ति (संपत्तियों) को प्राप्त करने के लिए आवश्यक राशि का भुगतान करेगा और संपत्ति के मूल्य में इस तरह के संशोधन के लिए ऋण के माध्यम से या अन्यथा किसी भी राशि का भुगतान करने के लिए ऋणदाता उत्तरदायी नहीं होगा| ऐसे मामले में, ऋणदाता इस ऋण लेनदेन को रद्द करने के लिए स्वतंत्र होगा और इस समझौते के किसी भी अन्य प्रावधानों के पूर्वाग्रह के बिना डीलर/ निर्माता को बुकिंग मूल्य के रूप में या अन्यथा डीलर/ निर्माता से भुगतान की गई राशि की वापसी भी वसूल करेगा।

आर्टिकल 10

डिलीवरी

10.1 निर्माता या डीलर या किसी अन्य व्यक्ति से संपत्ति की डिलीवरी प्राप्त करने और उसकी फिटनेस, गुणवत्ता की स्थिति आदि की पुष्टि करने के लिए उधारकर्ता पूरी तरह से जिम्मेदार होगा। संपत्ति की सुपुर्दगी लेने पर उधारकर्ता तुरंत ऋणदाता को सूचित करेगा|

10.2 उधारकर्ता द्वारा यह सहमति और समझ में आता है कि निर्माता या डीलर या किसी अन्य व्यक्ति से डिलीवरी में किसी भी देरी, किसी भी विलंब शुल्क या संपत्ति की गुणवत्ता/ स्थिति/ फिटनेस के लिए ऋणदाता उत्तरदायी नहीं होगा| उधारकर्ता उपरोक्त के संबंध में किसी भी दायित्व से ऋणदाता को मुक्त करता है और उधारकर्ता निर्धारित किश्तों के भुगतान को या किसी भी कारण से जो भी हो इस बहाने से नहीं रोकेगा कि संपत्ति वितरित नहीं की गई है|

आर्टिकल 11

उपयोग

11.1 उधारकर्ता बीमा पॉलिसी के नियमों और शर्तों द्वारा अनुमत किसी भी उद्देश्य के लिए स्वयं या अपने नौकरों या एजेंटों के माध्यम से संपत्ति का उपयोग नहीं करने का वचन देता है और न ही ऐसा कोई कार्य या काम करने की अनुमति देता है जिससे बीमा अमान्य हो सकता है, और विशेष रूप से, वन, उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क, GST, निषेध, अफीम, रेलवे संपत्ति से संबंधित केंद्रीय और राज्य विधानसभाओं के अधिनियमों के किसी भी प्रावधान के उल्लंघन में माल, वस्तुओं के परिवहन के लिए संपत्ति / वाहन का उपयोग नहीं करना आदि, गैरकानूनी कब्जा, सोना नियंत्रण, आदि, और किसी भी गैरकानूनी या अवैध गतिविधि में शामिल नहीं होने के लिए और उधारकर्ता इस तरह के गलत या गैरकानूनी उपयोग के परिणामस्वरूप संपत्ति के संबंध में ऋणदाता द्वारा किए गए किसी भी नुकसान या हानि के लिए जिम्मेदार होगा। उधारकर्ता केवल ऋणदाता द्वारा ऋणदाता को बताए गए उपयोग के लिए और जैसा कि इस समझौते में कहा गया है, अपनी लागत और खर्चों पर संपत्ति का उपयोग करने का वचन देता है|

आर्टिकल 12

बीमा और रखरखाव

12.1 ऋण के लिए सुरक्षा की सुरक्षा के लिए और यह सुनिश्चित करने के लिए कि बीमा पर ऋणदाता का ग्रहणाधिकार अंकित है, उधारकर्ता इस समझौते पर हस्ताक्षर करने के तुरंत बाद करेगा; एक व्यापक नीति के तहत दुर्घटना या आग या अन्य खतरों से किसी भी नुकसान या क्षति के खिलाफ संपत्ति का बीमा रखें, जिसमें हमलों, दंगों, नागरिक हंगामे, बाढ़ के खिलाफ जोखिम और ऐसी व्यापक देयता शामिल है जिसके लिए संपत्ति सामान्य रूप से उजागर होती है और असीमित तृतीय पक्ष देयता जोखिम किसी भी बीमा कंपनी और इस समझौते की अवधि के दौरान उक्त बीमा को प्रभावी रखने के लिए आवश्यक सभी प्रीमियम और अन्य राशियों का समय पर भुगतान करेगी और

ऋणदाता द्वारा मांग पर इसके निरीक्षण और सत्यापन के लिए किसी भी बीमा पॉलिसी, कवर नोट या रसीद को प्रस्तुत और वितरण (यदि ऋणदाता द्वारा आवश्यक हो) करेगी। प्रत्येक बीमा पॉलिसी उधारकर्ता के पक्ष में 'नुकसान प्राप्तकर्ता' के रूप में आवश्यक पृष्ठांकन के साथ उधारकर्ता के नाम पर होगी और ऋणदाताओं के बैंकरों के पक्ष में अतिरिक्त समर्थन, यदि ऐसा है, तो ऋणदाता द्वारा आवश्यक है|

12.2 उधारकर्ता किसी भी उद्देश्य के लिए संपत्ति का उपयोग नहीं करेगा जो बीमा पॉलिसी के नियमों और शर्तों द्वारा अनुमत नहीं है और ऐसा कोई कार्य या काम करने की अनुमति नहीं देगा, जिससे बीमा अमान्य हो सकता है|

12.3 उधारकर्ता स्वीकार करता है और पुष्टि करता है कि व्यापक बीमा पॉलिसी के साथ संपत्ति का पर्याप्त रूप से बीमा करना उधारकर्ता की प्रमुख जिम्मेदारी है| उधारकर्ता अपने विवेकाधिकार पर ऋणदाता द्वारा उधारकर्ता की ओर से एक सुविधाकर्ता के रूप में बीमा करवा सकता है और उधारकर्ता पोस्ट-डेटेड चेक / भुगतान आदेश / भुगतान के लिए अन्य निर्देश के माध्यम से स्वीकृत बीमा कंपनी को प्रीमियम का भुगतान कर सकता है। हालांकि, किसी भी कारण से ऋणदाता की ओर से किसी भी गैर-भुगतान से बीमा कंपनी को आवश्यक बीमा प्रीमियम का भुगतान करने और संपत्ति को बीमा रखने के लिए उधारकर्ता की देयता प्रभावित नहीं होगी।

12.4 किसी भी बीमा राशि पर पहला दावा ऋणदाता का होगा| उधारकर्ता एतद्द्वारा ऋणदाता के हितों की रक्षा के लिए बीमा राशि का दावा करने के लिए ऋणदाता को अधिकृत करता है और ऋणदाता की बकाया राशि के खिलाफ उसकी आय का उचित उपयोग करता है। उधारकर्ता समय-समय पर निर्धारित बीमा पॉलिसी और उसके नवीनीकरण के संबंध में ऋणदाता के सभी निर्देशों का पालन करेगा|

12.5 उधारकर्ता अपनी लागत पर और बिना किसी देरी के, किसी दुर्घटना या किसी अन्य कारण से हुई संपत्ति की मरम्मत करेगा और बीमा कंपनी को निपटान के लिए बीमा दावे के संबंध में बिल पेश करेगा। यदि उधारकर्ता के खिलाफ कोई अधिक बकाया नहीं है, तो ऋणदाता उसे ऐसे लाभ देगा जो ऋणदाता को बीमा कंपनी से दावे के संबंध में प्राप्त होता है|

आर्टिकल 13
डिफ़ॉल्ट की घटनाएं

13.1 उधारकर्ता ऋण या किसी भी फीस, शुल्क, या लागत को यहां निहित तरीके से चुकाने में विफल रहता है और इसके तहत देय किस्तों में से कोई एक या कोई अन्य राशि उस तारीख के बाद बकाया रहती है, जिस तारीख को वह देय होती है; या

13.2 यदि उधारकर्ता (एक व्यक्ति होने के मामले में और एक से अधिक होने की स्थिति में, उनमें से कोई भी) मर जाता है या कोई कदम उठाता है या किसी भी अधिकार क्षेत्र में उसे दिवालिया होने की दृष्टि से या कोई भी कदम उठाया जाता है तो इसके लिए एक रिसीवर, ट्रस्टी या उसकी किसी भी संपत्ति के समान अधिकारी की नियुक्ति की जाती है; या

13.3 यदि उधारकर्ता (कॉर्पोरेट निकाय या साझेदारी फर्म होने के मामले में) कोई कार्रवाई करता है या अन्य कदम उठाए जाते हैं या किसी तीसरे पक्ष द्वारा उधारकर्ता के खिलाफ समापन, विघटन या पुनर्गठन या एक रिसीवर की नियुक्ति के लिए, ट्रस्टी या इसी तरह के अधिकारी इस संपत्ति पर, विशेष रूप से बंधक संपत्ति पर कानूनी कार्यवाही शुरू की जाती है; या

13.4 यदि उधारकर्ता ऋणदाता की लिखित सहमति के बिना किसी भी तरह से बंधक संपत्ति को बेचने, स्थानांतरित करने या बेचने, किसी भी तरह से बोझ बनाने की कोशिश करता है; या

13.5 उधारकर्ता गिरवी रखी गई संपत्ति के लिए किसी बीमा प्रीमियम का भुगतान करने में विफल रहता है या अस्वीकृत PDCS/ECS के लिए बैंक शुल्क का भुगतान यहां नियमों और शर्तों के अनुसार नहीं करता है; या

13.6 बंधक की गई संपत्ति को किसी भी प्राधिकारी द्वारा जब्त, संलग्न, हिरासत में लिया जा रहा है या किसी निष्पादन कार्यवाही के अधीन है; या

13.7 समय-समय पर कानून के तहत बंधक संपत्ति के संबंध में किसी भी कर, लगान, शुल्क या अन्य अधिरोपण का भुगतान करने के लिए या किसी अन्य औपचारिकता का पालन उधारकर्ता नहीं कर पा रहा है; या

13.8 बंधक की गई संपत्ति की चोरी की जा रही है, जो किसी भी कारण से अप्राप्य है, या

13.9 संपत्ति किसी भी तरह से बाधित, संकटग्रस्त या क्षतिग्रस्त है या उपयोग के लिए अनुपयुक्त है या संपत्ति के साथ दुर्घटना के कारण तीसरे पक्ष को शारीरिक चोट लगी है; या

13.10 किसी भी PDCS/ECS को उधारकर्ता द्वारा ऋणदाता को इसके नियमों और शर्तों में वितरित या वितरित किये जाने पर किसी भी कारण से प्रस्तुतीकरण पर सम्मानित नहीं किया जाता है; या

13.11 किसी भी कारण से अनुच्छेद 2,10 के अनुसार दिए गए किसी भी PDCS/ECS के भुगतान को रोकने के लिए उधारकर्ता द्वारा दिया जा रहा कोई भी निर्देश; या

13.12 ऋणदाता के पक्ष में दृष्टिबंधक पृष्ठांकन के साथ वाहन होने के नाते संपत्ति के पंजीकरण प्रमाण पत्र की एक प्रति प्रदान करने में उधारकर्ता विफल रहता है; या

13.13 कोई भी परिस्थिति उत्पन्न होती है जो ऋणदाता की राय में उचित आधार देती है कि इससे बंधक संपत्ति या उसमें ऋणदाता के हित या इस समझौते के तहत पूर्वाग्रह या खतरे की संभावना है; या

13.14 उधारकर्ता इस समझौते में प्रदान की गई संपत्ति [पुराने और नए वाहन (दोनों)] का विवरण दर्ज करने में विफल रहा है; या

13.15 उधारकर्ता ने इसमें निहित किसी भी नियम, अनुबंध और शर्तों का उल्लंघन किया है या इस समझौते के तहत उधारकर्ता द्वारा दी गई किसी भी जानकारी या ऋणदाता को दिए गए अभ्यावेदन या उधारकर्ता द्वारा प्रस्तुत किए गए किसी अन्य दस्तावेज को गलत या भ्रामक पाया गया है; या

13.16 ऐसी कोई अन्य परिस्थितियाँ मौजूद हैं, जो ऋणदाता की एकमात्र राय में, ऋणदाता के हित को खतरे में डालती हैं; या

13.17 उधारकर्ता/गारंटर किसी भी न्यायालय/न्यायाधिकरण (NCLT सहित) द्वारा दिवालिया हो जाता है या घोषित या दिवालिया घोषित हो जाता है या परिसमापन या विघटन में चला जाता है, चाहे वह स्वैच्छिक हो या अनिवार्य, या अपने ऋणों का भुगतान करने में असमर्थ है क्योंकि वे देय या प्रस्तावित हैं या अपने लेनदारों के साथ या उनके लाभ के लिए एक सामान्य असाइनमेंट या व्यवस्था या संरचना करता है या किसी संपत्ति का कब्जा लेने के लिए एक रिसीवर नियुक्त किया जाता है या दिवाला/दिवालियापन के लिए एक याचिका या धन/संपत्ति की वसूली के लिए एक डिक्री लागू करने के खिलाफ दायर की जाती है उधारकर्ता/गारंटर और ऐसी याचिका दायर करने के बाद 90 (नब्बे) दिनों के भीतर खारिज नहीं की जाती है और ऋणदाता द्वारा किसी भी कार्रवाई को टालने/स्थगित करने को उसके अधिकारों में छूट नहीं माना जाएगा; या

13.18 किसी भी क्षमता में, ऋणदाता और उधारकर्ता के बीच किए गए किसी अन्य समझौते के तहत अपनी देनदारियों का निर्वहन करने में उधारकर्ता द्वारा की गई कोई भी चूक|

13.19 उधारकर्ता/गारंटर मोटर वाहन अधिनियम या केंद्रीय मोटर वाहन नियम या किशोर न्याय अधिनियम, वन, सीमा शुल्क, नारकोटिक्स, खान और खनिज आदि सहित अन्य कानूनों/नियमों/अध्यादेशों/जीओ के प्रावधानों के उल्लंघन में संपत्ति का उपयोग कर रहा है, या पर्यावरण, स्वास्थ्य, सुरक्षा, श्रम या सार्वजनिक प्रकटीकरण से संबंधित किसी भी कानून का उल्लंघन|

आर्टिकल 14

ऋणदाता के अधिकार

14.1 उधारकर्ता/गारंटर ऋणदाता को अपनी सभी वित्तीय देनदारियों का खुलासा करेगा जो किसी भी क्षमता में इस अनुबंध को प्रभावित करेगा| ऋणदाता अनुबंध को समाप्त करने का हकदार होगा, यदि उधारकर्ता/गारंटर पर कोई प्रतिकूल रिपोर्ट मिलती है, जो समझौते के निष्पादन के बाद किसी भी समय पाई जाती है, जिसमें सभी लाभकारी मालिकों या निदेशक या भागीदार या ट्रस्टी आदि शामिल हैं, और किस स्थिति में उधारकर्ता और गारंटर द्वारा देय संपूर्ण धन बिना किसी मांग/सूचना के ऋणदाता को तुरंत देय हो जाता है| ऋणदाता ऋणदाता द्वारा धारित किसी भी जमा, शेयर और प्रतिभूतियों सहित सभी धन को समायोजित / वसूल करने और शेष राशि वापस करने का हकदार होगा, यदि कोई हो तो

14.2 पूर्वोक्त किसी भी/सभी चूक की घटनाओं के घटित होने पर ऋणदाता को उधारकर्ता को यह सूचित करने का अधिकार होगा कि भुगतान में चूक के कारण ब्याज सहित, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं, पूरी राशि और अन्य सभी राशि और किसी भी प्रकृति के शुल्क बीमा प्रीमियम (यदि ऋणदाता द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधा सेवाओं के माध्यम से प्रीमियम प्राप्त किया गया है) और या अन्य करों के कारण जो उधारकर्ता द्वारा देय होता, यदि समझौता अपनी पूर्ण अवधि तक चला था, तो बकाया और देय हो गए हैं| ऋणदाता बकाया ऋण बकाया पर अनुसूची में निर्दिष्ट दर पर एक अतिरिक्त प्रतिशत चार्ज करने का हकदार होगा और मांग करेगा कि उपरोक्त सभी राशियों को तुरंत ऋणदाता को चुकाया जाए| ऋणदाता अपने विवेक पर लिखित में एक नोटिस द्वारा

उधारकर्ता/गारंटर को इस तरह के नोटिस में निर्दिष्ट अवधि के भीतर चूक की घटना को सुधारने के लिए कह सकता है।

14.3 चूक की उपरोक्त सभी घटनाओं के घटित होने पर, उधारकर्ता ऋणदाता द्वारा नोटिस जारी करने की तारीख से 7 दिनों के भीतर ऋणदाता को निम्नलिखित भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा;

(क) किश्तों का बकाया;

(ख) शेष अवधि के लिए किश्तें, जो उधारकर्ता द्वारा देय होंगी। यदि समझौता अपनी पूर्ण अवधि तक चला होता;

(ग) बकाया मूलधन और अन्य देय राशियों पर पहली अनुसूची में निर्दिष्ट दर पर अतिरिक्त वित्त शुल्क;

(घ) अन्य सभी राशि और शुल्क, जो भी प्रकृति के हों, बीमा प्रीमियम, लागत, खर्च के भुगतान में चूक के कारण और अन्य करों के कारण ब्याज सहित लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं है|

हालांकि, असाधारण परिस्थितियों में जहां उधारकर्ता की पूरी तरह से या संपत्ति को ऋणदाता या उधारकर्ता की पहुंच से बाहर रखने या रखने की संभावना है, उधारकर्ता पर गैर-कानूनी उद्देश्यों के लिए संपत्ति का उपयोग कर संपत्ति को असामान्य रूप से टूट-फूट और/या अलग-थलग कर देता है तो उधारकर्ता की अन्य संपत्ति जो समझौते के तहत देय राशि की वसूली के लिए ऋणदाता को अतिरिक्त कवर प्रदान करती है, ऋणदाता को बिना किसी नोटिस के संपत्ति की जब्ती सहित ऐसे कदम उठाने का अधिकार होगा।

14.4 उधारकर्ता द्वारा उक्त नोटिस में मांग का अनुपालन करने में विफल रहने की स्थिति में, उधारकर्ता को ऋणदाता द्वारा नोटिस जारी करने की तारीख से 7 दिनों के भीतर ऋणदाता की कीमत पर संपत्ति को ऋणदाता को सौंपने के लिए बाध्य किया जाएगा। स्थान, जैसा कि ऋणदाता निर्दिष्ट कर सकता है, उसी स्थिति में जिसमें यह मूल रूप से उधारकर्ता को सामान्य टूट-फूट को छोड़कर वितरित किया गया था, जिसमें विफल होने पर, ऋणदाता बिना किसी और सूचना के, जहां कहीं भी संपत्ति को जब्त करने का हकदार होगा| उधारकर्ता ऋणदाता को संपत्ति का कब्जा लेने से नहीं रोकेगा या बाधित नहीं करेगा| इस प्रयोजन के लिए, ऋणदाता के अधिकृत प्रतिनिधियों, कर्मचारियों, अधिकारियों और एजेंटों के पास प्रवेश का अप्रतिबंधित अधिकार होगा और वे परिसर, या गैरेज, या गोदाम में प्रवेश करने के, जहां संपत्ति पड़ी या रखी जाएगी, और संपत्ति को जब्त करने के हकदार होंगे| उधारकर्ता द्वारा सहयोग न करने की स्थिति में, यदि आवश्यक हो, तो ऋणदाता को ऐसी किसी भी जगह को खोलने का अधिकार है जहां पर संपत्ति रखी गई मानी जाती है और संपत्ति को जब्त करने का अधिकार है। संपत्ति को ले जाने के लिए टो-वैन या किसी वाहक का उपयोग करने के अपने अधिकारों के भीतर ऋणदाता अच्छी तरह से होगा| उधारकर्ता संपत्ति की जब्ती और उसकी बिक्री आदि के संबंध में ऋणदाता द्वारा किए गए किसी भी टोइंग शुल्क और अन्य ऐसे खर्चों का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

14.5 ऋणदाता के अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा संपत्ति की जब्ती के बाद, कर्मचारी, अधिकारी और एजेंट संपत्ति की एक सूची तैयार करेंगे| ऋणदाता द्वारा संपत्ति की जब्ती या आत्मसमर्पण के बाद ऋणदाता एक नोटिस भेजेगा, साथ ही साथ ऋणदाता को अनुबंध का निपटान करने और संपत्ति वापस लेने के लिए ऋणदाता द्वारा नोटिस जारी करने की तारीख से 7 दिनों का समय देने वाली सूची की एक प्रति के साथ एक नोटिस भेजेगा। उधारकर्ता, ऊपर उल्लिखित समय सीमा के भीतर अनुबंध स्थापित करने में विफल होने की स्थिति में, संपत्ति के मामले में वाहन आरसी बुक, टैक्स टोकन परमिट और बीमा प्रमाणपत्र / पॉलिसी आदि सहित संपत्ति से संबंधित सभी मूल दस्तावेज वितरित करेगा, यदि उक्त दस्तावेज जब्ती या आत्मसमर्पण के समय वाहन में उपलब्ध नहीं थे और ऋणदाता या उसके नामांकित व्यक्ति या उसके एजेंटों या खरीदार के पक्ष में ऋणदाता द्वारा पहचानी गई संपत्ति के हस्तांतरण के लिए आवश्यक दस्तावेजों के निष्पादन सहित सभी सहायता प्रदान करेंगे। यदि, तथापि, उधारकर्ता संपत्ति के हस्तांतरण के लिए आवश्यक सहायता प्रदान करने में विफल रहता है, तो ऋणदाता एकतरफा ऐसे सभी कदम उठाने का हकदार होगा जो परिसंपत्ति की शीघ्र बिक्री की सुविधा के लिए आवश्यक हो सकता है।

14.6 न तो ऋणदाता, न ही उसके एजेंट, अधिकारी, नामांकित व्यक्ति किसी भी तरह से जिम्मेदार और उत्तरदायी होंगे और उधारकर्ता इसके द्वारा ऋणदाता या उसके अधिकारियों, एजेंटों या नामांकित व्यक्तियों को किसी भी नुकसान, क्षति, सीमा, या अन्यथा किसी भी सामान के लिए उत्तरदायी बनाने के लिए सहमत नहीं होता है और ऐसी वस्तुएँ जो कार्यभार ग्रहण करने के समय या दृष्टिबंधक संपत्ति की जब्ती के समय बंधक की गई संपत्ति में रखी या पड़ी हो सकती हैं|

14.7 उधारकर्ता द्वारा ऋणदाता की संतुष्टि के लिए पूरी तरह से ऋणदाता के कारण राशि चुकाने पर, ऋणदाता संपत्ति को उधारकर्ता को वापस करने के लिए सहमत होता है| ऋणदाता पूर्ण विवेकाधिकार पर ऐसे उपक्रम/शर्तों पर देय राशि के आंशिक भुगतान पर परिसंपत्ति जारी करने के लिए सहमत हो सकता है जो ऋणदाता निर्धारित कर सकता है| उधारकर्ता जब्ती की सभी लागतों का भुगतान करेगा यार्ड / गैरेज किराए आदि सहित जब्ती / समर्पण के बाद ऋणदाता द्वारा किए गए खर्चों को वापस कर देगा। उधारकर्ता ऋणदाता को संबोधित डिलीवरी रसीदों को स्वीकार करेगा जो एक प्राप्ति रसीद है जिसे उधारकर्ता ने उसी स्थिति में संपत्ति की डिलीवरी ली है जिसमें इसे ऋणदाता द्वारा/ उधारकर्ता द्वारा संपत्ति में रखे गए दस्तावेजों और लेखों के साथ जब्त / आत्मसमर्पण किया गया था। संपत्ति की जब्ती या संपत्ति की स्थिति या संपत्ति की जब्ती / आत्मसमर्पण के समय संपत्ति में रखे गए किसी भी दस्तावेज और लेख के संबंध में कोई दावा नहीं करेगा और ना ही उधारकर्ता कोई विवाद नहीं उत्पन्न करेगा।

14.8 ऋणदाता किसी भी/सभी पूर्वोक्त चूक की घटनाओं का हकदार होगा और उधारकर्ता एतद्द्वारा सार्वजनिक नीलामी या निजी संधि द्वारा या अन्यथा जो भी हो, संपत्ति को बेचने/हस्तांतरण/सौंपे जाने के लिए ऋणदाता को अपरिवर्तनीय रूप से अधिकृत करता है, और इस समझौते के तहत उधारकर्ता ऋणदाता को सभी बकाया राशि का पुनर्भुगतान करने के लिए उचित प्रक्रिया का पालन करता है। ऋणदाता संपत्ति के पुनः कब्जा/समर्पण के बाद संपत्ति की बिक्री/नीलामी के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन करेगा

- क) जैसा कि ऊपर बताया गया है, संपत्ति के कब्जे/समर्पण के बाद उधारकर्ता को नोटिस जारी करने की तारीख से 7 दिनों के भीतर बकाया राशि का निपटान करने के लिए एक नोटिस जारी किया जाएगा।
- ख) यदि उधारकर्ता ऋणदाता की संतुष्टि के लिए बकाया राशि का निपटान करता है, तो संपत्ति उधारकर्ता को जारी की जाएगी, हालांकि ऐसे नियमों और शर्तें ऋणदाता द्वारा उधारकर्ता पर भविष्य की बकाया राशि का तुरंत निर्वहन करने और शर्तों का पालन करने के लिए लगाए जा सकते हैं।
- c) यदि उधारकर्ता ऋणदाता द्वारा नोटिस जारी करने की तारीख से 7 दिनों के भीतर बकाया का निपटान करने में विफल रहता है, तो ऋणदाता संभावित खरीदारों से 3 प्रतिस्पर्धी उद्धरण प्राप्त करेगा, या वैकल्पिक रूप से ऋणदाता ऑनलाइन सार्वजनिक नीलामी तंत्र या एक निजी संधि के माध्यम से संपत्ति को बेच देगा और अपने निर्णय में उचित जो भी ऋणदाता उचित समझे।
- d) सभी मामलों में ऋणदाता यह सुनिश्चित करेगा कि संपत्ति उच्चतम सफल बोली या सबसे अच्छी कीमत लगाने वाले को बेची जाए|

14.9 यदि बिक्री की आय ऋणदाता के सभी बकाया को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है, तो उधारकर्ता उक्त विनियोग के बाद किसी भी कमी के लिए भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा। यदि उधारकर्ता संपत्ति की बिक्री के बाद कमी को पूरा करने में विफल रहता है, तो ऋणदाता ऋण खाते में इस तरह के नुकसान/कमी की वसूली के लिए उचित कानूनी कार्रवाई शुरू करेगा। यदि ऋणदाता की देय राशि को समायोजित करने के बाद कोई अधिशेष है, तो उसका भुगतान उधारकर्ता को किया जाएगा। इस लेख में निहित कुछ भी ऋणदाता को संपत्ति को जब्त करने या बेचने के लिए बाध्य नहीं करेगा और ऋणदाता उधारकर्ता या गारंटर के खिलाफ कार्रवाई करने का हकदार होगा, यदि कोई हो, ऐसी सुरक्षा से स्वतंत्र रूप से, विशेष रूप से ऋणदाता किसी भी कारण से संपत्ति को जब्त करने से वंचित है।

14.10 उधारकर्ता बिक्री की नियमितता और/या ऋणदाता द्वारा की गई कार्रवाइयों के संबंध में कोई आपत्ति उठाने का हकदार नहीं होगा और न ही ऋणदाता ऐसी शक्ति के प्रयोग से होने वाली किसी भी हानि के लिए उत्तरदायी/जिम्मेदार और/या उक्त उद्देश्य के लिए ऋणदाता द्वारा नियुक्त किसी दलाल या नीलामकर्ता या अन्य व्यक्ति या निकाय की ओर से किसी कार्य या चूक से उत्पन्न होगा|

14.11 ऋणदाता, अपने पूर्ण विवेक से और बिना किसी नोटिस के उधारकर्ता/गारंटर को किसी भी व्यक्ति/बैंक/वित्तीय संस्थान, या जिसे भी, समझौते के तहत अपने किसी भी अधिकार और उसके द्वारा निष्पादित अन्य दस्तावेजों को अनुदान/हस्तांतरण/सौंपा/बेच सकता है। उधारकर्ता/गारंटर और उससे जुड़ी शर्तों, जिसमें ऋण सुविधा के तहत शेष राशि प्राप्त करने का अधिकार शामिल है और विशेष रूप से प्रभार के रूप में या सुरक्षा के रूप में ऐसे अधिकार प्रदान/स्थानांतरित/सौंपा जा सकता है और कोई भी व्यक्ति जिसे ऐसे अधिकार दिए गए हैं/ हस्तांतरित/सौंपे गए ऐसे अधिकारों के पूर्ण लाभ के हकदार होंगे। समझौता उधारकर्ता/गारंटर पर बाध्यकारी होगा और ऋणदाता और उसके उत्तराधिकारियों के लाभ के लिए शीर्षक और असाइनमेंट आदि में शामिल होगा|

14.12 ऋणदाता/गारंटर से बकाया ऋण की वसूली के लिए ऋणदाता किसी भी स्वतंत्र एजेंट/एजेंसियों/परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियों (ARC) को नियुक्त कर सकता है और ऐसे एजेंट/एजेंसियां/ARC ऋणदाता के कर्मचारी या उधारकर्ता और/या गारंटर से किसी भी समय ऋण की अवधि के दौरान या उसके बाद, या तो उसके निवास स्थान या व्यवसाय के स्थान पर या कहीं और देय राशि उसकी सेवा प्रदाता कंपनी सहित ऋण की वसूली कर सकते हैं।

14.13 ऋणदाता पूरे ऋण को वापस ले सकता है या समझौते के तहत भुगतान या प्रदर्शन में तेजी लाने की मांग कर सकता है या ऋण की अवधि के दौरान किसी भी समय अतिरिक्त प्रतिभूतियों / गारंटी की मांग कर सकता है। ऋणदाता द्वारा उधारकर्ता को इस आशय का एक नोटिस जारी किया जाएगा|

14.14 उधारकर्ता और/या गारंटर की मृत्यु के मामले में (यदि उधारकर्ता एक प्राकृतिक व्यक्ति, कर्ता या फर्म का भागीदार है), ऋणदाता या तो मृतक उधारकर्ता और/या गारंटर के किसी एक या अधिक कानूनी वारिसों को प्रतिस्थापन/पूरक समझौते या वेतन और बंद के माध्यम से अभियोग/प्रतिस्थापित करने का विकल्प चुन सकता है। ऋण खाता / पूर्ण रूप से। प्रतिस्थापन के ऐसे मामले में, ऋणदाता इस संबंध में उधारकर्ता और/या गारंटर के कानूनी वारिसों द्वारा प्रतिस्थापन/पूरक समझौते के निष्पादन के संबंध में अन्य पार्टी/यों को एक सूचना पत्र भेज सकता है। ऐसा करने में विफलता के मामले में, ऋणदाता उधारकर्ता और/या गारंटर के किसी एक या अधिक कानूनी वारिसों के साथ प्रतिस्थापन समझौते को चुन और निष्पादित कर सकता है। उधारकर्ता और/या गारंटर इस संबंध में ऋणदाता के विवेक पर सवाल नहीं उठाएंगे। इस खंड के तहत प्रयोग किया गया विकल्प ऋणदाता के ऋण को वापस लेने के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना है|

14.15 अनुबंध में निहित किसी भी बात के होते हुए भी, ऋणदाता इस संबंध में उचित नोटिस के बाद संपत्ति को वापस लेने का हकदार होगा, चाहे पूरी ऋण राशि वापस ले ली गई हो या नहीं, जब भी, ऋणदाता के पूर्ण विवेक पर, होने की संभावना है उधारकर्ता/गारंटर द्वारा ऋणदाता की बकाया राशि का भुगतान नहीं किया जा रहा है और/या संपत्ति को उधारकर्ता द्वारा हस्तांतरित किए जाने की संभावना है ताकि सुरक्षा और/या ऋणदाता की देय राशि का भुगतान किया जा सके।

14.16 ऋणदाता द्वारा मांग किए जाने पर, या चूक की किसी भी घटना के घटित होने पर ऋणदाता द्वारा आवश्यक होने पर, उधारकर्ता/गारंटर:

क) बंधक संपत्ति का तत्काल और वास्तविक कब्जा ऋणदाता, उसके नामितों या एजेंटों को देना (जैसा भी मामला हो);

ख) ऋणदाता, उसके नामितों या एजेंटों (जैसा भी मामला हो) को संपत्ति से संबंधित सभी पंजीकरणों, नीतियों, प्रमाणपत्रों और दस्तावेजों को हस्तांतरित, वितरित और उसका समर्थन करता है।

14.17 ऋणदाता या उसके अधिकारी, एजेंट या नामांकित व्यक्ति किसी भी हानि, क्षति, सीमा, या मूल्यह्रास के लिए किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं होंगे, जो कि किसी भी खाते पर संपत्ति को नुकसान हो सकता है या बनाए रख सकता है, जबकि वह ऋणदाता के कब्जे में है, इसका अधिकारियों, एजेंटों या नामांकित व्यक्तियों या ऋणदाता या उसके अधिकारियों, एजेंटों या नामांकित व्यक्तियों के लिए उपलब्ध अधिकारों, शक्तियों या उपचारों के प्रयोग या गैर-प्रयोग के कारण और पैसे के रूप में उधारकर्ता के खाते से इस तरह के सभी नुकसान, क्षति या मूल्यह्रास को डेबिट किया जाएगा ,चाहे वह किसी भी कारण से हुआ हो|

14.18 न तो ऋणदाता और न ही उसके एजेंट, अधिकारी या नामांकित व्यक्ति किसी भी तरह से जिम्मेदार और उत्तरदायी होंगे और उधारकर्ता एतद्द्वारा ऋणदाता या उसके अधिकारियों, एजेंटों या किसी भी नामित व्यक्ति को किसी भी क़ीमती सामान के लिए किसी भी नुकसान, क्षति, सीमा या अन्यथा के लिए उत्तरदायी नहीं बनाने के लिए सहमत होता है। , सामान और लेख जो संपत्ति के प्रभार लेने और/या कब्जे, या संपत्ति की जब्ती के समय संपत्ति में रखे जा सकते हैं|

14.19 ऋणदाता संपत्ति के ठिकाने का पता लगाने में लागू कानून या ऋणदाता के उचित व्यवहार संहिता के अनुसार ऋणदाता द्वारा या उसकी ओर से किए गए सभी खर्चों (पूर्ण क्षतिपूर्ति के आधार पर कानूनी लागत सहित) से वसूल करने का हकदार होगा, संपत्ति का कब्जा लेना, गैरेज करना, बीमा करना, ट्रांसपोर्ट करना और बेचना और इस समझौते के प्रावधानों को लागू करने के लिए ऋणदाता द्वारा या उसकी ओर से दायर की जा सकने वाली कोई कानूनी कार्यवाही। यह स्पष्ट किया जाता है कि ऊपर उल्लिखित उपाय इस समझौते के तहत, या किसी अन्य समझौते / उपक्रम के तहत, या कानून या इक्विटी में ऋणदाता के लिए उपलब्ध किसी भी अन्य उपाय के अतिरिक्त और बिना किसी पूर्वाग्रह के होंगे।

14.20 भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 151 में निहित कुछ भी विपरीत होने के बावजूद, ऋणदाता या उसके अधिकारी, एजेंट या नामित व्यक्ति किसी भी तरह से किसी किसी भी खाते पर नुकसान, क्षति, सीमा या मूल्यह्रास के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे जिससे बंधक संपत्ति को नुकसान हो सकता है या बनाए रख सकता है जबकि वह ऋणदाता या उसके अधिकारियों, एजेंटों या नामांकित व्यक्तियों के कब्जे में है या ऋणदाता या उसके अधिकारियों, एजेंटों या नामितों और सभी के लिए उपलब्ध अधिकारों, शक्तियों, या उपायों के प्रयोग या गैर-प्रयोग के कारण और सभी इस तरह के नुकसान, क्षति या मूल्यह्रास को उधारकर्ता के खाते में डेबिट किया जाएगा, चाहे वह किसी भी कारण से हुआ हो|

14.21 ऋणदाता या उसके अधिकारी, एजेंट या नामित व्यक्ति हर समय ग्राहकों के प्रति अपनी वचनबद्धता संहिता का पालन करेंगे, जैसे कि RBI दिशानिर्देश, आंतरिक उचित व्यवहार संहिता आदि, और केवाईसी मानदंडों की सभी आवश्यकताओं का पालन करने के लिए।

14.22 ऋणदाता अपने विवेक से मूलधन और/या ब्याज की अवैतनिक किश्तों और अन्य शुल्कों और अतिरिक्त वित्त प्रभारों की वसूली के प्रभावी नियंत्रण और निगरानी के उद्देश्य से अपनी बुक में खाते के विवरण बनाए रखने का हकदार होगा। ऋणी एतद्द्वारा स्वीकार करता है कि ऋणी ऐसी बकाया राशि को चुकाने के लिए उत्तरदायी होगा जो खाते के दोनों विवरणों के तहत देय और देय होगी और सुविधा को सुरक्षित करने के लिए बनाई गई सुरक्षा द्वारा सुरक्षित रहेगी।

आर्टिकल 15

ऋणदाता द्वारा सूचना का प्रकटीकरण

15.1 ऋणी/गारंटर एतद्द्वारा पुष्टि करता है और प्रमाणित करता है कि उसके/उनके द्वारा यहां ऋणदाता को दी गई सभी जानकारी और डेटा सत्य हैं। उधारकर्ता/गारंटर एतद्द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक और/या किसी अन्य एजेंसी/प्राधिकरण जैसे क्रेडिट के लिए खाते/खातों के संचालन और संचालन से संबंधित किसी भी समय किसी भी/सभी जानकारी/सूचनाओं का खुलासा करने के लिए ऋणदाता को स्पष्ट रूप से सहमति देते हैं। Credit Information Bureau (India) Ltd., जिसे RBI/किसी भी वैधानिक प्राधिकरण या कानून के न्यायालयों द्वारा नियुक्त/नामित किया जाता है, ऐसी जानकारी को लिखित रूप में या किसी आदेश/निर्देश या जैसा भी मामला हो, प्रकट करने के लिए कहा जाता है। ऋणदाता बिना किसी और नोटिस या उधारकर्ता/गारंटर को सूचना दिए बिना, RBI और/या RBI द्वारा नियुक्त किसी एजेंसी/प्राधिकरण और/या भारत की प्रतिभूतिकरण परिसंपत्ति पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित (CERSAI) की केंद्रीय रजिस्ट्री को किसी भी जानकारी का खुलासा और आपूर्ति कर सकता है और/ या कंपनी रजिस्ट्रार (ROC), सूचना उपयोगिता (IU) इत्यादि। उधारकर्ता/गारंटर, आगे सहमत हैं कि RBI और/या कानूनी इकाई पहचानकर्ता और/या नियुक्त कोई अन्य प्राधिकरण ऐसे डेटा और/या जानकारी को संकलित कर सकता है और बता सकता है/ भारत में बैंकिंग और वित्त उद्योग में क्रेडिट अनुशासन के लिए किसी भी कारण से सरकार/एस, RBI, अन्य बैंकों और/या वित्तीय संस्थानों को इस तरह के डेटा और/या जानकारी और/या परिणाम की आपूर्ति करें। उधारकर्ता/गारंटर स्पष्ट रूप से अपने अधिकार का त्याग करते हैं और किसी गोपनीयता खंड के उल्लंघन के कारण ऐसी जानकारी के प्रकटीकरण और/या उपयोग के लिए किसी भी दायित्व से ऋणदाता और/या RBI और/या RBI द्वारा नियुक्त किसी अन्य प्राधिकरण को मुक्त करते हैं। इसके अलावा, ऋणदाता स्वयं या अपने एजेंट (एजेंटों) के माध्यम से संदर्भ बना सकता है, आवेदन/समझौतों/उधारकर्ता/गारंटर द्वारा प्रस्तुत किए गए किसी भी अन्य संबंधित दस्तावेजों में जानकारी से संबंधित कटौती/सत्यापन/जांच कर सकता है।

15.2 उधारकर्ता/गारंटर एतद्द्वारा ऋणदाता और ऋणदाता के किसी भी अधिकारी को उधारकर्ता/गारंटर के संबंध में किसी भी ग्राहक जानकारी या उधारकर्ता/गारंटर के संबंध में किसी भी अन्य जानकारी और/या किसी भी समझौते या दस्तावेज के संबंध में किसी भी जानकारी का खुलासा करने के लिए अधिकृत और अनुमति देता है, उधारकर्ता/गारंटर या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किसी भी सुविधा के संबंध में जैसा कि ऋणदाता ऐसे किसी भी वाणिज्यिक, वित्तीय, प्रशासनिक, वित्त पोषण या व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए उपयुक्त पर विचार करेगा जैसा कि ऋणदाता उचित समझे: -

क) ऋणदाता का कोई सहयोगी; और

ख) कोई अन्य व्यक्ति:

(i) जिसे ऋणदाता ऋण सुविधाओं के तहत अपने सभी अधिकारों और दायित्वों को सौंपता है या हस्तांतरित करता है या बेचता है (या संभावित रूप से असाइन या स्थानांतरित कर सकता है);

(ii) जिसके साथ (या उसके माध्यम से) ऋणदाता किसी भी भागीदारी या उप-भागीदारी में प्रवेश करता है (या संभावित रूप से प्रवेश कर सकता है), या किसी अन्य लेनदेन के संबंध में, जिसके तहत ऋण सुविधाओं या उधारकर्ता/गारंटर के संदर्भ में भुगतान किया जाना है;

(iii) जिसके साथ (या उसके माध्यम से) ऋणदाता सुविधाओं के तहत उधारकर्ता के दायित्वों के संबंध में किसी भी क्रेडिट बीमा या किसी अन्य संविदात्मक सुरक्षा या हेजिंग की खरीद या बिक्री के संबंध में किसी भी लेनदेन में प्रवेश करता है (या संभावित रूप से प्रवेश कर सकता है);

(iv) किसी भी रेटिंग एजेंसी, बीमाकर्ता या बीमा दलाल, या ऋणदाता या उसके सहयोगियों को ऋण सुरक्षा के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रदाता;

(v) कोई भी न्यायालय या न्यायाधिकरण या नियामक, पर्यवेक्षी, सरकारी या अर्ध-सरकारी प्राधिकरण जिसका अधिकार क्षेत्र ऋणदाता या उसके सहयोगियों पर है;

(vi) किसी सुविधा या प्रस्तावित सुविधा या उधारकर्ता से संबंधित डेटा के प्रसंस्करण या प्रबंधन के अनुसार;

(vii) जिनके लिए इस तरह के प्रकटीकरण को ऋणदाता द्वारा ऋणदाता के हित में माना जाता है|

(viii) किसी भी कानून, अधिनियम, नियम और/या विनियम के तहत किसी भी जानकारी का खुलासा करने और किसी भी खाते से संबंधित दस्तावेज प्रदान करने के लिए अधिकृत किसी भी प्राधिकरण को, उधारकर्ता या गारंटर द्वारा प्राप्त या प्राप्त की जाने वाली सुविधा या उधारकर्ता या गारंटर या सुरक्षा प्रदाता से संबंधित;

15.3 उधारकर्ता/गारंटर एतद्द्वारा ऋणदाता द्वारा उन्हें दी गई ऋण सुविधाओं की एक पूर्व-शर्त के रूप में सहमत है कि यदि उधारकर्ता/गारंटर ऋण सुविधाओं के पुनर्भुगतान में या उस पर ब्याज की अदायगी में या किसी भी सहमत में से कोई भी चूक करता है देय तिथि/दिनों पर ऋण सुविधा की किस्त, ऋणदाता और/या भारतीय रिजर्व बैंक के पास उधारकर्ता/गारंटर के नाम/नामों या उसके भागीदारों या निदेशकों के नाम का खुलासा करने या प्रकाशित करने का एक अयोग्य अधिकार होगा या गारंटर का नाम डिफॉल्टर के रूप में इस तरह से और ऐसे माध्यम से जैसे कि ऋणदाता या RBI अपने पूर्ण विवेक से जो भी उचित समझे|

15.4 उधारकर्ता/गारंटर एतद्द्वारा पुष्टि करता है और स्वीकार करता है कि पूर्व शर्त के रूप में, उन्हें उक्त ऋण सुविधाएं प्रदान करने के संबंध में, ऋणदाता को प्राप्त की गई/होने वाली ऋण सुविधाओं से संबंधित जानकारी और डेटा के प्रकटीकरण के लिए उनके द्वारा उठाए गए दायित्वों, उनके द्वारा ग्रहण किए गए दायित्वों, उनके संबंध में और चूक, यदि कोई हो, उनके द्वारा किए गए, उनके निर्वहन में उनकी सहमति की आवश्यकता है। तदनुसार, उधारकर्ता/गारंटर एतद्द्वारा सहमत होता है और ऋणदाता द्वारा ऐसे सभी या किसी भी प्रकार के प्रकटीकरण के लिए सहमति देता है:

क) उधारकर्ता/गारंटर से संबंधित जानकारी और डेटा;

ख) उधारकर्ता/गारंटर द्वारा प्राप्त की जाने वाली किसी भी क्रेडिट सुविधा से संबंधित जानकारी या डेटा; और

ग) उधारकर्ता द्वारा इस तरह के दायित्व के निर्वहन में चूक, यदि कोई हो,;

घ) जैसा कि ऋणदाता उचित और आवश्यक समझे, Credit Information Bureau और RBI द्वारा इस संबंध में अधिकृत किसी अन्य एजेंसी को खुलासा और प्रस्तुत करने के लिए|

15.5 उधारकर्ता/गारंटर यह वचन देता है कि:

क) Credit Information Bureau और इस प्रकार अधिकृत कोई अन्य एजेंसी ऋणदाता द्वारा प्रकट की गई उक्त जानकारी और डेटा का उनके द्वारा उचित समझे जाने वाले तरीके से उपयोग, संसाधित कर सकती है; और

ख) Credit Information Bureau और इस प्रकार अधिकृत कोई अन्य एजेंसी, उनके द्वारा तैयार किए गए उत्पादों की प्रस्तावित जानकारी और डेटा, बैंकों / वित्तीय संस्थानों और अन्य क्रेडिट ग्रांटर्स या पंजीकृत

उपयोगकर्ताओं को, इस संबंध में RBI द्वारा जैसानिर्दिष्ट किया जा सकता है, विचार के लिए प्रस्तुत कर सकती है।

15.6 उधारकर्ता/गारंटर एतद्द्वारा ऋणदाता को प्रासंगिक विनियमों के साथ पठित दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 (संक्षेप में 'कोड') की धारा 3 (13) में परिभाषित "वित्तीय जानकारी" का खुलासा/प्रस्तुत करने के लिए विशिष्ट सहमति देता है, संहिता के तहत बनाए गए नियम, जैसा कि समय-समय पर संशोधित और लागू होता है और जैसा कि समय-समय पर निर्दिष्ट किया जाता है, ऋणदाता से समय-समय पर लिए गए ऋण / वित्तीय सुविधाओं के संबंध में, किसी भी 'सूचना उपयोगिता' (इनफार्मेशन यूटिलिटी) को परिभाषित किया गया है। संहिता की धारा 3 (21) में, कोड के तहत बनाए गए प्रासंगिक विनियमों के अनुसार, और RBI द्वारा बैंकों/वित्तीय संस्थानों को समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार और विशेष रूप से उनके द्वारा प्रस्तुत "वित्तीय जानकारी" को तुरंत प्रमाणित करने के लिए विशेष रूप से सहमत हैं। ऋणदाता, और जब संबंधित 'IU' द्वारा अनुरोध किया जाता है|.

15.7 उधारकर्ता/गारंटर एतद्द्वारा सहमत होते हैं और ऋणदाता को किसी भी समय किसी भी/सभी डेटा/सूचना का खुलासा/साझा करने के लिए स्पष्ट रूप से सहमति देते हैं, जैसे उधारकर्ता/गारंटर का विवरण, लिया गया ऋण, ऋण खाते में ओवरड्यू और कानूनी मामलों के लिए शुरू किए गए कानूनी मामले मूल उपकरण निर्माताओं (OEM) आपूर्तिकर्ताओं सहित वाहन/उपकरण निर्माताओं को वसूली आदि और उधारकर्ता और/या गारंटर इस पर आपत्ति नहीं करेंगे और यह समझौते में किसी भी गोपनीयता खंड का उल्लंघन नहीं होगा।

15.8 उधारकर्ता/गारंटर एतद्द्वारा सहमत होते हैं और ऋणदाता को अपनी समूह कंपनियों या अन्य संस्थाओं और ऋणदाता या उसके समूह को किसी भी समय अपने/उनकेसभी डेटा/जानकारी का खुलासा/साझा/बिक्री करने के लिए स्पष्ट रूप से सहमति देते हैं। कंपनियां अपने उत्पाद को उधारकर्ता/गारंटर को बेच सकती हैं|

15.9 यह खंड भारत में लागू कानून या समय-समय पर निर्धारित अन्य मौजूदा नियमों और दिशानिर्देशों के तहत निर्धारित गोपनीयता की तुलना में उच्च स्तर की गोपनीयता के लिए ऋणदाता के साथ एक व्यक्त या निहित समझौता नहीं है और न ही माना जाएगा। समय। इस खंड में ऋणदाता को प्रदान किए गए अधिकार किसी भी उधारकर्ता की जानकारी के संबंध में उधारकर्ता और ऋणदाता के बीच व्यक्त या निहित किसी भी अन्य समझौते के अतिरिक्त होंगे और किसी भी तरह से पूर्वाग्रह या प्रभावित नहीं होंगे और न ही ऐसा कोई अन्य समझौता किसी भी तरह से इस खंड से पूर्वाग्रही या प्रभावित हो।

आर्टिकल 16
सुरक्षा हित का प्रवर्तन

16.1 किश्तों के भुगतान में किसी भी चूक की स्थिति में, समझौते के नियमों और शर्तों के उल्लंघन की स्थिति में, ऋणदाता यहां संदर्भित और/या सभी मंचों के समक्ष सभी या कोई भी कानूनी कार्रवाई कर सकता है और इसके तहत उपलब्ध उपायों को भी लागू कर सकता है। वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और गैर-निष्पादित परिसंपत्ति की वसूली के संबंध में लागू सुरक्षा ब्याज अधिनियम, 2002 (सरफेसी अधिनियम) का प्रवर्तन। सरफेसी अधिनियम के अनुसार ऋणदाता सुरक्षित संपत्ति की वसूली और निपटान का हकदार है। सुरक्षित संपत्ति के निपटान के बाद ऋणदाता शेष बकाया राशि की वसूली का हकदार है, यदि कोई हो|

16.2 उधारकर्ता और गारंटर स्पष्ट रूप से पहचानते हैं और स्वीकार करते हैं कि ऋणदाता पूरी तरह से हकदार होगा और किसी भी तरीके से, पूरे या आंशिक रूप से, और इस तरह से और ऐसी शर्तों पर बेचने, असाइन करने या स्थानांतरित करने का पूर्ण अधिकार होगा, ऋणदाता और गारंटर को लिखित सूचना के बिना या बिना किसी संदर्भ के ऋणदाता की पसंद के किसी तीसरे पक्ष को, जैसा कि ऋणदाता तय कर सकता है,। इसमें ऋणदाता और गारंटर के किसी भी या सभी बकाया देय राशि के लिए क्रेता, समनुदेशिती या अंतरिती की ओर से उधारकर्ता और गारंटर के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए अपनी शक्ति को बनाए रखने के लिए ऋणदाता का अधिकार सुरक्षित रखना शामिल है। ऐसी कोई भी कार्रवाई और ऐसी कोई भी बिक्री, असाइनमेंट या स्थानांतरण उधारकर्ता और गारंटर को इस तरह के तीसरे पक्ष को विशेष रूप से लेनदार के रूप में या ऋणदाता के साथ संयुक्त लेनदार के रूप में या लेनदार के रूप में विशेष रूप से ऋणदाता के अधिकार के साथ सभी शक्तियों का प्रयोग जारी रखने के लिए बाध्य करेगा। इस तरह के तीसरे पक्ष की ओर से और इस तरह के तीसरे पक्ष और/या ऋणदाता को ऐसी बकाया राशि और देय राशि का भुगतान करने के लिए जैसा कि ऋणदाता निर्देशित कर सकता है। उधारकर्ता और गारंटीकर्ता तीसरे पक्ष को पोर्टफोलियो के हस्तांतरण की स्थिति में, कुल ऋण राशि और ऋणदाता द्वारा प्राप्त राशि

के बीच अंतर को तीसरे पक्ष को भुगतान करने के लिए स्वीकार करते हैं और वचन देते हैं। तीसरे पक्ष के पास देय राशि एकत्र करने के लिए ऋणदाता का अधिकार होगा|

आर्टिकल 17

पूर्व भुगतान

17.1 यदि उधारकर्ता दूसरी अनुसूची में बताए गए समय से पहले ऋण का पूर्व भुगतान करना चाहता है, तो पहली अनुसूची में दर्शाए गए अनुसार फोरक्लोज़र शुल्क ऋण के अलावा ऐसे फोरक्लोज़र की तिथि पर बकाया राशि पर उधारकर्ता द्वारा देय होगा। पूर्व भुगतान तभी प्रभावी होगा जब नकद भुगतान कर दिया गया हो या चेक का भुगतान कर दिया गया हो|

आर्टिकल 18

प्रतिभूतिकरण

18.1 उधारकर्ता स्पष्ट रूप से मनाता और स्वीकार करता है कि ऋणदाता स्वयं या अपने अधिकारियों या कर्मचारियों के माध्यम से ऐसी गतिविधियों को करने के अपने अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, पूरी तरह से हकदार होगा और ऋणदाता की पसंद के एक या अधिक तीसरे पक्ष को नियुक्त करने और स्थानांतरित करने के लिए पूर्ण अधिकार और अधिकार होगा| ऐसी कोई भी कार्रवाई और इस तरह की कोई भी बिक्री, असाइनमेंट या स्थानांतरण उधारकर्ता को ऐसे तीसरे पक्ष को विशेष रूप से लेनदार के रूप में या ऋणदाता के साथ संयुक्त लेनदार के रूप में या लेनदार के रूप में विशेष रूप से ऋणदाता के अधिकार के साथ सभी शक्तियों का प्रयोग जारी रखने के लिए बाध्य करेगा और ऐसे तीसरे पक्ष और या ऋणदाता को इस तरह के बकाया और देय राशि का भुगतान करने के लिए जैसा कि ऋणदाता निर्देशित कर सकता है| उधारकर्ता तीसरे पक्ष को पोर्टफोलियो के हस्तांतरण की स्थिति में बकाया ऋण राशि और ऋणदाता द्वारा प्राप्त राशि के बीच अंतर को स्वीकार करता है और तीसरे पक्ष को भुगतान करने का वचन देता है। तीसरे पक्ष के पास देय राशि एकत्र करने के लिए उधारकर्ता (ओं) का अधिकार होगा|

आर्टिकल 19

एजेंसी नियुक्त करने के लिए ऋणदाता का अधिकार

19.1 यह कि उधारकर्ता और गारंटर सहमत हैं, समझते हैं, और स्वीकार करते हैं कि ऋणदाता अपने द्वारा लिए गए ऋण के संबंध में किसी भी या सभी सेवाओं को किसी तीसरे पक्ष / एजेंसी को आउटसोर्स कर सकता है। उधारकर्ता स्पष्ट रूप से मनाता और स्वीकार करता है कि ऋणदाता स्वयं या अपने अधिकारियों या कर्मचारियों के माध्यम से ऐसी गतिविधियों को करने के अपने अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, पूरी तरह से हकदार होगा और ऋणदाता की पसंद के एक या अधिक तीसरे पक्ष को नियुक्त करने और स्थानांतरित करने के लिए पूर्ण अधिकार और अधिकार होगा और इस तरह के तीसरे पक्ष को ऋण आवेदन को संसाधित करने और/या ऋणदाता की ओर से इस समझौते के तहत ऋणदाता के कारण किश्तों/ब्याज/अन्य शुल्कों का संग्रह करने और सभी कृत्यों, कार्यों, मामलों को निष्पादित करने और निष्पादित करने का अधिकार और अधिकार सौंपना और उससे जुड़ी या उससे जुड़ी चीजें जिसमें मांग की नोटिस भेजना, उधारकर्ता के निवास या कार्यालय में उपस्थित होना या अन्यथा देय राशि प्राप्त करने के लिए या संपत्ति का कब्जा लेने के लिए उधारकर्ता से संपर्क करना, जैसा भी मामला हो।

आर्टिकल 20

नोटिस

20.1 कोई भी नोटिस, पत्र और अन्य दस्तावेज इस समझौते में बताए गए पते पर या उधारकर्ता और / या गारंटर द्वारा अधिसूचित पते पर, व्यक्तिगत रूप से या पंजीकृत / स्पीड पोस्ट द्वारा पावती के साथ या कूरियर या दस्तावेजों का इलेक्ट्रॉनिक प्रसारण जैसे फैक्स संदेश, पंजीकृत ई-मेल, या मोबाइल नंबर सक्षम WhatsApp या अन्य समान एप्लिकेशन आदि किसी अन्य माध्यम से भेजा जाएगा। उधारकर्ता और गारंटर विशेष रूप से सहमत हैं, स्वीकार करते हैं और सहमति देते हैं कि अधिकृत व्यक्ति के पंजीकृत ई-मेल आईडी या मोबाइल नंबर (WhatsApp या अन्य समान एप्लिकेशन के साथ सक्षम) आदि, उधारकर्ता और/या गारंटर या उनके/उनके अधिकृत व्यक्ति की उचित सेवा मानी जाएगी और उधारकर्ता और गारंटर इसकी प्रामाणिकता पर सवाल नहीं उठाएंगे। देय प्राप्ति या कूरियर के साथ पंजीकृत / स्पीड पोस्ट द्वारा भेजे गए नोटिस, पत्र और / या अन्य दस्तावेज को भेजे जाने के 3

दिन बाद और किसी भी ई-सेवा को ई-मेल या मोबाइल नंबर या सेवा के अन्य इलेक्ट्रॉनिक मोड को ऋणदाता द्वारा भेजे जाने के तुरंत बाद सेवा के रूप किसी माध्यम से प्राप्त किया गया माना जाएगा|

20.3 ऋणदाता के एक अधिकारी द्वारा लिखित रूप में हस्ताक्षरित एक प्रमाण पत्र जिसमें किसी विशेष समय पर देय राशि का उल्लेख किया गया हो, उधारकर्ता और गारंटर दोनों के खिलाफ निर्णायक सबूत होगा।

20.4 उधारकर्ता और/या गारंटर के पते, ई-मेल या मोबाइल नंबर में कोई भी परिवर्तन, ऐसे परिवर्तन के एक सप्ताह के भीतर ऋणदाता को लिखित रूप में सूचित किया जाएगा।

20.5 सभी पत्राचार में, अनुबंध संख्या उद्धृत की जानी चाहिए|

20.6 इस समझौते की प्रस्तावना में उपस्थित पक्षों के विवरण में उल्लिखित ऋणदाता के कॉर्पोरेट कार्यालय के पते पर सभी पत्राचार ऋणदाता को संबोधित किए जाएंगे। ऋणदाता को कोई नोटिस तब तक प्रभावी नहीं होगा जब तक कि ऋणदाता द्वारा प्राप्त नहीं किया जाता है।

20.7 उधारकर्ता को भेजा गया नोटिस सह-उधारकर्ता और गारंटर को भी दिया गया नोटिस माना जाएगा|

आर्टिकल 21
आंशिक अमान्यता

21.1 यदि इस समझौते का कोई प्रावधान या किसी व्यक्ति या परिस्थिति के लिए इसका आवेदन किसी भी कानून या विनियम या सरकारी नीति के कारण किसी भी कारण से किसी भी हद तक अमान्य या अप्रवर्तनीय होगा, तो इस समझौते के शेष और इस तरह के प्रावधान के आवेदन उन व्यक्तियों या परिस्थितियों के अलावा जिनके बारे में इसे अमान्य या अप्रवर्तनीय माना जाता है, इससे प्रभावित नहीं होंगे, और इस समझौते का प्रत्येक प्रावधान कानून द्वारा अनुमत पूर्ण सीमा तक वैध और लागू करने योग्य होगा। इस समझौते का कोई भी अमान्य या अप्रवर्तनीय प्रावधान एक प्रावधान के साथ प्रतिस्थापित किया जाएगा, जो वैध और लागू करने योग्य है और पारस्परिक रूप से सहमत तरीके से अप्रवर्तनीय प्रावधान के मूल इरादे को लगभग दर्शाता है। ऋणी/गारंटर विशेष रूप से मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 12 के तहत प्रदान किए गए ऋणदाता द्वारा एकमात्र मध्यस्थ की नियुक्ति को चुनौती देने के अपने अधिकार का त्याग करता है।

आर्टिकल 22
विवाद समाधान और मध्यस्थता

22.1 सभी विवाद (इस समझौते के अनुसार उधारकर्ता/गारंटर द्वारा की गई चूक शामिल है), मतभेद और/या इस समझौते से उत्पन्न होने वाले या इसे छूने वाले दावे, चाहे इसके अस्तित्व के दौरान या उसके बाद मध्यस्थता के प्रावधानों के अनुसार मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 द्वारा निपटाए जाएंगे या उसके किसी भी वैधानिक संशोधन और ऋणदाता द्वारा नामित एकमात्र मध्यस्थ को संदर्भित किया जाएगा| मध्यस्थता कार्यवाही की सीट, स्थान और जगह चेन्नई होगा और भाषा अंग्रेजी होगी| ऐसे मध्यस्थ द्वारा दिया गया पुरस्कार अंतिम होगा और समझौते के सभी पक्षों के लिए बाध्यकारी होगा। जज द्वारा दिए गए किसी भी अंतरिम पुरस्कार सहित पुरस्कार अंतिम होगा और सभी संबंधित पक्षों के लिए बाध्यकारी होगा| मध्यस्थ अंतरिम पुरस्कार सहित पुरस्कार के लिए कारण भी बतायेगा| मध्यस्थता की लागत पार्टियों द्वारा समान रूप से वहन की जाएगी|

22.2 यह समझौते की एक शर्त है कि ऐसे मध्यस्थ की स्थिति में, जिसे मामला मूल रूप से संदर्भित किया गया है, इस्तीफा दे देता है या मर जाता है या किसी भी कारण से कार्य करने में असमर्थ होने पर, ऋणदाता, मध्यस्थ की ऐसी मृत्यु के समय या मध्यस्थ के रूप में कार्य करने में उसकी अक्षमता के कारण, किसी अन्य व्यक्ति को मध्यस्थ के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त करेगा और ऐसा व्यक्ति उस चरण से जिस पर उसके पूर्ववर्ती द्वारा छोड़ा गया था संदर्भ के साथ आगे बढ़ने का हकदार होगा|

22.3 पार्टियों के बीच यह विशेष रूप से सहमत है कि पार्टियों के बीच विवादों को "ऑनलाइन विवाद समाधान" (ओडीआर) तंत्र और पंजीकृत ई-मेल आईडी या मोबाइल नंबर पर भेजे गए किसी भी नोटिस, उत्तर, उत्तर, पत्र और दस्तावेजों के माध्यम से हल किया जाएगा। हल किया गया (मध्यस्थ के व्हाट्सएप या अन्य समान ऐप के साथ सक्षम) वैध और पार्टियों के लिए बाध्यकारी होगा और मध्यस्थ, इसके गुणों के अधीन, विवाद को तय करने के लिए इसे ध्यान में रख सकता है। इसके अलावा, पार्टियों के बीच यह सहमति हुई है कि मध्यस्थ अपने पंजीकृत ई-मेल आईडी या मोबाइल नंबर पर नोटिस, दावे का विवरण, दस्तावेज, जवाब, काउंटर, स्थगन आदि भेज सकता

है। पार्टियों को यथोचित रूप से सेवा प्रदान की गई समझी जाएगी। यदि पक्ष सहमत हैं, तो मध्यस्थ वीडियो कॉलिंग सुविधा के माध्यम से मौखिक साक्ष्य भी रिकॉर्ड कर सकता है।

आर्टिकल 23
कानून और क्षेत्राधिकार

23.1 यह समझौता भारत के कानूनों के अनुसार शासित और माना जाएगा और अन्य सभी न्यायालयों को छोड़कर चेन्नई शहर के न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र के अधीन होगा|

आर्टिकल 24
पूर्ण समझौते

24.1 यह समझौता (पहली और दूसरी अनुसूचियों सहित) इस समझौते के अनुसार ऋणदाता के पक्ष में उधारकर्ता द्वारा निष्पादित या निष्पादित किए जाने वाले दस्तावेजों के साथ, इसकी विषय वस्तु के संबंध में पार्टियों के बीच पूरे समझौते का गठन करेगा।

आर्टिकल 25
नियम और समाप्ति

25.1 यह समझौता इस समझौते की तारीख से प्रभावी होगा और केवल उधारकर्ता द्वारा ऋण के ऋणदाता को पूर्ण चुकौती, उस पर ब्याज और उधारकर्ता द्वारा इस समझौते के तहत ऋणदाता को देय अन्य शुल्क (अतिरिक्त वित्त शुल्क सहित) और देय राशि पर समाप्त हो जाएगा।

आर्टिकल 26
डिफ़ॉल्ट पर खाते का वर्गीकरण

26.1 उधारकर्ता/गारंटर सहमत हैं और समझते हैं कि "प्रुडेंशियल फ्रेमवर्क फोर रेजोल्यूशन ऑफ़ स्ट्रेस्ड एसेटस" पर समय-समय पर RBI द्वारा जारी लागू परिपत्र के अनुसार, ऋणदाता उन्हें विशेष उल्लेख खाते (SMA 1 और 2) और NPA के रूप में वर्गीकृत करना करके उनको डिफ़ॉल्ट रूप से तुरंत उधारकर्ता/गारंटर के खातों में प्रारंभिक तनाव को पहचानने की आवश्यकता होगी।

26.2 यह आगे स्पष्ट किया जाता है कि उधारकर्ता/गारंटर के खाते (ऋणदाता से प्राप्त वित्त सुविधाएं शामिल हैं) को ऋणदाता द्वारा उनकी देय तिथि के लिए उनकी दिन-अंत प्रक्रियाओं के हिस्से के रूप में अतिदेय के रूप में चिह्नित किया जाएगा, भले ही ऐसी प्रक्रियाओं को चलाने का समय कुछ भी हो| इसी तरह, उधारकर्ता/गारंटर के खातों का SMA के साथ-साथ NPA के रूप में वर्गीकरण प्रासंगिक तिथि के लिए दिन के अंत की प्रक्रिया के हिस्से के रूप में किया जाएगा और SMA या NPA वर्गीकरण तिथि कैलेंडर तिथि होगी जिसके लिए दिन की समाप्ति प्रक्रिया चल रही है। दूसरे शब्दों में, SMA या NPA की तिथि NBFC के लिए लागू RBI मानदंडों के अनुसार उस कैलेंडर तिथि के दिन के अंत में किसी खाते की परिसंपत्ति वर्गीकरण स्थिति को दर्शाएगी।

उदाहरण: यदि किसी ऋण खाते की देय तिथि 31 मार्च, 2021 है, और ऋण देने वाली संस्था द्वारा इस तिथि के लिए दिन के अंत की प्रक्रिया चलाने से पहले पूर्ण बकाया प्राप्त नहीं होता है, तो अतिदेय की तिथि 31 मार्च, 2021 होगी। यदि यह अतिदेय बना रहता है, तो इस खाते को 30 अप्रैल, 2021 को दिन के अंत की प्रक्रिया चलाने पर, यानी लगातार अतिदेय होने के 30 दिन पूरे होने पर एसएमए-1 के रूप में टैग किया जाएगा। तदनुसार, उस खाते के लिए SMA-1 वर्गीकरण की तिथि 30 अप्रैल, 2021 होगी|

इसी तरह, यदि खाता अतिदेय बना रहता है, तो इसे 30 मई, 2021 को दिन के अंत की प्रक्रिया चलाने पर SMA -2 के रूप में टैग किया जाएगा और यदि आगे भी ओवरड्यू बना रहता है, तो इसे 29 जून, 2021दिन के अंत की प्रक्रिया चलाने पर NPA के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।

26.3 आगे यह स्पष्ट किया जाता है कि उधारकर्ता/गारंटर के खातों के SMA या NPA वर्गीकरण पर निर्देश खुदरा ऋण सहित सभी ऋणों पर लागू होते हैं, चाहे जोखिम का आकार कुछ भी हो|

26.4 उधारकर्ता/गारंटर द्वारा आगे यह सहमति और समझ में आता है कि NPA के रूप में वर्गीकृत ऋण खातों को 'मानक' संपत्ति के रूप में अपग्रेड किया जा सकता है, केवल अगर उधारकर्ता/गारंटर द्वारा ब्याज और मूलधन की संपूर्ण बकाया राशि का भुगतान किया जाता है|

आर्टिकल 27
इलेक्ट्रॉनिक/डिजिटल दस्तावेजों का निष्पादन

27.1 उधारकर्ता और गारंटर एतदद्वारा सहमत हैं, समझते हैं, स्वीकार करते हैं और पुष्टि करते हैं कि वे इलेक्ट्रॉनिक/डिजिटल रूप में (जहां लागू हो) समझौते और जुड़े दस्तावेजों को निष्पादित कर रहे हैं और उन्होंने इसकी सहमति व्यक्त की है, एक OTP (वन-टाइम पासवर्ड) और / या ई-लिंक के माध्यम से उसके / उनके घोषित / पंजीकृत मोबाइल नंबर (ओं) और / या उसके / उनके पंजीकृत ई-मेल आईडी या किसी अन्य पर भेजा गया जिसका उपयोग वे समय-समय पर में सत्यापन स्वीकृत करने के लिए करते हैं और उन्होंने इसको सत्यापित किया है और इसकी पुष्टि की है।

27.2 उधारकर्ता और गारंटर सहमत हैं और वचन देते हैं कि वे समझौते और अन्य दस्तावेजों की प्रामाणिकता पर सवाल नहीं उठाएंगे और भविष्य में किसी भी भौतिक हस्ताक्षर और/या स्वीकृति के अभाव में ई-फॉर्म में उनके द्वारा सहमति दी जाती है।

27.3 उधारकर्ता और गारंटर यहां निहित शर्तों के अनुसार ऑनलाइन ऋण सुविधा का लाभ उठा रहे हैं, पूरी तरह से अपने स्वयं के जोखिम और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम और विनियमों के अनुसार परिणाम प्राप्त कर रहे हैं। उधारकर्ता और गारंटर वचन देता है कि "मैं सहमत हूं" पर क्लिक करने पर यह माना जाएगा कि उधारकर्ता और गारंटर ने समझौते और संबंधित दस्तावेजों को विधिवत निष्पादित किया है और इसमें निहित सभी नियमों और शर्तों को स्वीकार किया है और वह / वे भविष्य में उसके संबंध में कोई विरोध नहीं करेंगे। उधारकर्ता और गारंटर इस बात से अवगत हैं कि ऋणदाता ऋण के लिए आवेदन में उधारकर्ता और गारंटर द्वारा भरी गई सभी शर्तों और विवरणों के संबंध में खुद को संतुष्ट करने के बाद ही समझौते का एक पक्ष बनने के लिए सहमत होगा और समझौता ऋणदाता की नीति के अनुरूप है|

27.4 ट्रांसमिशन का एक सुरक्षित साधन नहीं है। उधारकर्ता और गारंटर स्वीकार करते हैं और मानते हैं कि ऐसी ट्रांसमिशन विधियों में संभावित वायरस के हमलों, डेटा के अनधिकृत रूप से रोकने, डेटा में परिवर्तन, किसी भी उद्देश्य के लिए अनधिकृत उपयोग का जोखिम शामिल है। उधारकर्ता और गारंटर ऋणदाता को सभी नुकसानों, लागतों, क्षतियों, खर्चों से मुक्त और हानिरहित रखने के लिए सहमत हैं जो उधारकर्ता और गारंटर द्वारा किसी भी त्रुटि, देरी या ट्रांसमिशन या अनधिकृत / अवैध अवरोधन, परिवर्तन, हेरफेर में समस्याओं के कारण हो सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक डेटा, वायरस के हमले / उधारकर्ता के सिस्टम को ट्रांसमिशन अन्यथा ऋण लेने के साधन के रूप में इंटरनेट का उपयोग करने के कारण होता है। हालांकि, उधारकर्ता और गारंटर ऋण लेने के इच्छुक हैं और ऋण और उसके संचालन के संबंध में समझौते के तहत विभिन्न मामलों के लिए ई-मेल और/या ऑनलाइन मोड के माध्यम से ऋणदाता को निर्देश ("निर्देश") प्रदान करते हैं।

27.5 ऋणदाता अपनी किसी भी आवश्यकता के लिए ई-मेल के माध्यम से दिए गए निर्देशों पर भरोसा करने के लिए (और इसे वास्तविक मानने के लिए) हकदार होंगे (ऐसा करने के लिए बाध्य हुए बिना)। किसी भी प्रश्न के मामले में निर्देश क्या प्रदान किए गए या प्राप्त हुए, ऋणदाता और गारंटर से ऋणदाता द्वारा प्राप्त ई-मेल का रिकॉर्ड अंतिम होगा। उधारकर्ता और गारंटीकर्ता यह सुनिश्चित करेंगे कि ऋणदाता को ई-मेल के माध्यम से दिए गए निर्देश इस संबंध में विधिवत अधिकृत व्यक्ति ("अधिकृत व्यक्ति") द्वारा निष्पादित किए जाते हैं और ऋणदाता इस संबंध में किसी भी सत्यापन के संचालन के लिए जिम्मेदार नहीं होगा, चाहे इसकी प्रकृति जो भी हो|

आर्टिकल 28
विविध

28.1 **भाषा**

ऋण आवेदन पत्र के अनुसार उधारकर्ता द्वारा प्रयोग किए गए विकल्प पर पार्टियों के बीच सभी पत्राचार और संचार में अंग्रेजी का उपयोग किया जाएगा|

28.2 **संशोधन**

इस समझौते की शर्तों में कोई परिवर्तन, बदलाव या संशोधन और इसके किसी भी नियम या शर्तों में से कोई भी छूट तब तक मान्य या बाध्यकारी नहीं होगी जब तक कि उधारकर्ता द्वारा लिखित में और विधिवत रूप से ऋणदाता के पक्ष में निष्पादित नहीं किया जाता है। इस समझौते में किया गया कोई भी परिवर्तन संभावित होगा|

28.3 **संचयी अधिकार**

इस समझौते के तहत ऋणदाता के सभी उपचार चाहे यहां प्रदान किए गए हों या क़ानून, नागरिक कानून, सामान्य कानून, प्रथा, व्यापार या उपयोग द्वारा प्रदत्त हों, संचयी हैं और वैकल्पिक नहीं हैं और क्रमिक या समवर्ती रूप से लागू किए जाते हैं।

28.4 **ऋण समझौते का लाभ**

ऋण समझौता बाध्यकारी होगा और प्रत्येक पक्ष और उसके उत्तराधिकारियों या वारिसों, प्रशासकों, जैसा भी मामला हो, के लाभ को सुनिश्चित करने के लिए होगा।

28.5 **आगे का आश्वासन**: उधारकर्ता और गारंटर अनुबंध की अवधि के दौरान या अनापत्ति प्रमाण पत्र या नो ड्यूज़ लेटर जारी करने से पहले आवश्यक समझौतों जैसे, पूरक, टॉप-अप, परिशिष्ट, और ऋणदाता के साथ जैसा भी मामला हो अतिरिक्त अनुसूचियों को निष्पादित करेंगे, इनमें से जो भी पहले हो।

28.6 **इस समझौते का लाभ**: यह समझौता और अन्य जुड़े समझौते बाध्यकारी होंगे और प्रत्येक पक्ष और उसके उत्तराधिकारी शीर्षक या वारिस, प्रशासक, जैसा भी मामला हो, के लाभ के लिए बाध्य होंगे|

28.7 **छूट खंड**: समझौते या किसी अन्य समझौते या दस्तावेज़ के तहत ऋणदाता को प्राप्त होने वाले किसी भी अधिकार, शक्ति या उपाय का प्रयोग करने या चूकने में कोई भी देरी ऐसे किसी भी अधिकार, शक्ति या उपाय को कम नहीं करेगी और किसी भी चूक में या किसी चूक या किसी चूक के संबंध में ऋणदाता की कार्रवाई या निष्क्रियता, किसी अन्य चूक के संबंध में ऋणदाता के किसी अधिकार, शक्ति या उपाय को प्रभावित या प्रभावित नहीं करेगा और इसे छूट या किसी भी स्वीकृति के रूप में नहीं माना जाएगा।

28.8 **उत्तरजीविता**: यह कि बकाया की वसूली और/या सुरक्षा हित के प्रवर्तन के लिए ऋणदाता को उपलब्ध मध्यस्थता या किसी अन्य उपाय से संबंधित प्रावधान अनुबंध की समाप्ति के बाद भी बने रहेंगे|

28.9 इस समझौते या किसी अन्य समझौते या दस्तावेज के तहत ऋणदाता को प्राप्त होने वाले किसी भी अधिकार, शक्ति या उपाय का प्रयोग करने या चूकने में कोई देरी किसी भी अधिकार, शक्ति या उपाय को कम नहीं करेगी और कोई चूक, न ही किसी चूक या किसी चूक के संबंध में ऋणदाता की कार्रवाई या निष्क्रियता, किसी अन्य चूक के संबंध में ऋणदाता के किसी अधिकार, शक्ति या उपाय को प्रभावित या प्रभावित नहीं करेगी और इसे छूट या किसी भी स्वीकृति के रूप में नहीं माना जाएगा|

28.10 इस समझौते के तहत उधारकर्ता की देयता संयुक्त और कई प्रकार की होगी|

आर्टिकल 29

स्वीकृति

उधारकर्ता और गारंटर एतद्द्वारा निम्नानुसार घोषणा करते हैं:

29.1 कि अनुबंध**,** स्वीकृति पत्र और अन्य दस्तावेजों को उनके द्वारा समझी जाने वाली भाषा में पढ़ा और समझाया गया है और वे सभी खंडों का पूरा अर्थ समझ गए हैं|

29.2 उन्होंने अनुसूचियों में दिए गए संपूर्ण अनुबंध और अन्य नियमों और शर्तों और भौतिक विवरणों को पढ़ लिया है, जो उनकी उपस्थिति में भरे गए हैं और वे मंजूरी में उन्हें प्रदान किए गए सभी खंडों, नियमों और शर्तों से बाध्य होंगे, ऋणदाता द्वारा जारी पत्र और स्वागत पत्र और उसे समझौते के पार्सल के हिस्से के रूप में पढ़ा जाएगा और "म्यूटिस म्यूटैंडिस" लागू होगा|

29.3 इस समझौते को उधारकर्ता और गारंटर द्वारा सभी नियमों और शर्तों को पढ़ने, सहमत होने, समझने के बाद निष्पादित किया जाता है, जैसे कि परिभाषाएं, ऋण राशि, संवितरण और चुकौती का तरीका / शर्त पूर्व भुगतान / पूर्व भुगतान, चार्ज की गई ब्याज दर (ROI), शुल्क /शुल्क/कर (पूर्व भुगतान/बुलेट भुगतान आदि) देय, ब्याज दर और प्रभारों में परिवर्तन की अधिसूचना, ऋणदाता द्वारा भुगतान का विनियोग, प्रतिभूति और उसका प्रवर्तन, देयताएं/प्रतिनिधित्व/संविदाएं/उधारकर्ता का वचन और/या गारंटर, ऋणदाता द्वारा सूचना का प्रकटीकरण, संपत्ति और इसकी डिलीवरी / उपयोग / बीमा / रखरखाव, उधारकर्ता / गारंटर द्वारा प्रदान की गई संपार्श्विक, चूक की घटनाएं, ऋणदाता के अधिकार, असाइनमेंट, एजेंसी, इलेक्ट्रॉनिक / डिजिटल दस्तावेजों का निष्पादन आदि, अधिक विस्तृत विवरण में समझौता।

29.4 वे एतद्द्वारा स्वीकार करते हैं कि पूरे समझौते में केवल मानक खंड शामिल हैं जो ऐसे सभी उधारकर्ताओं के लिए सामान्य हैं और इसलिए यहां निहित शर्तों से बाध्य होने के लिए सहमत हैं, भले ही ऋणदाता के अधिकारी के हस्ताक्षर केवल पहले पृष्ठ और/या अंतिम में चिपकाए गए हों। पृष्ठ और/या अनुसूचियों में। हालाँकि, यह सहमति और समझ में आता है कि उधारकर्ता और गारंटर सभी पृष्ठों पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य होंगे, और यदि

उधारकर्ता/गारंटर अनजाने में समझौते में किसी भी पृष्ठ (पृष्ठों) पर हस्ताक्षर करने से चूक जाता है, तो यह अनुबंध को अमान्य नहीं करेगा। समझौते के प्रारूप में मानक खंड शामिल हैं और इसे ऋणदाता की वेबसाइट www.hindujaleylandfinance.com पर भी होस्ट किया गया है। उधारकर्ता और गारंटर, इसे सीधे ऋणदाता की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं|.

29.5 वे एतदद्वारा समझते हैं, स्पष्ट रूप से सहमत हैं और सहमति देते हैं कि समझौता कानूनी है और उन पर बाध्यकारी है, चाहे निष्पादन के आदेश, समय के अंतर, यदि कोई हो, पार्टियों द्वारा समझौते के निष्पादन में। वे आगे नोट करते हैं कि उन्होंने आधार और/या PAN क्रेडेंशियल्स का उपयोग किया है और अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर (RMN) में प्राप्त यूआरएल लिंक के माध्यम से, स्वेच्छा से और बिना किसी बल या जबरदस्ती और / या गलत बयानी के और पूरी तरह से पढ़ने, समझने और समझने के बाद इस समझौते के खंड से सहमत होते हैं। उसके/उनके सत्यापन क्रेडेंशियल्स जैसे पता/मोबाइल नंबर आदि में/में किए गए बाद में किए गए कोई भी परिवर्तन, और यहां किए गए समझौते के डिजिटल निष्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेंगे। वे यह भी नोट करते हैं कि अग्रेषित किए जा रहे यूआरएल लिंक पर ऋणदाता का कोई नियंत्रण नहीं है (एक बार निर्दिष्ट/पंजीकृत मोबाइल नंबर में प्राप्त होने के बाद) और इस प्रकार ऋणदाता को इस अनुबंध में किसी अन्य तृतीय पक्ष द्वारा किसी भी/सभी जोखिमों के लिए क्षतिपूर्ति करने के लिए सहमत होते हैं, जो कि निष्पादन के दौरान/से उत्पन्न होते हैं।|

29.6 कि वे विशेष रूप से सहमत हैं कि अनुबंध के कार्यकाल या समापन के बाद, जो भी बाद में हो और उसके बाद छह महीने, ऋणदाता समझौते को किसी भी अन्य उपयुक्त इलेक्ट्रॉनिक या अन्य रूपों में बदलने के लिए स्वतंत्र है जैसा कि उस पर प्रचलित कानून के अनुसार उपयुक्त हो सकता है। मूल अनुबंध को इलेक्ट्रॉनिक/डिजिटल छवि में परिवर्तित करने के बाद उसे नष्ट करने के लिए ऋणदाता के विकल्प सहित समय-समय पर और किसी भी न्यायालय/प्राधिकरण के समक्ष संदर्भ/सत्यापन/उत्पादन के उद्देश्य के लिए छवि को संरक्षित करना। उधारकर्ता और/या गारंटर, जैसा भी मामला हो, को कोई आपत्ति नहीं होगी और वह समझौते की इलेक्ट्रॉनिक इमेज की सामग्री पर विवाद नहीं करेगा। उधारकर्ता और/या गारंटर यहां निर्धारित अवधि के बाद किसी भी समय वास्तविक रूप में मूल रूप में प्रस्तुत करने की मांग नहीं करेंगे।

29.7 कि वे सहमत हैं और स्वीकार करते हैं कि "डॉट कॉल" अनुरोध के पंजीकरण के लिए केवल प्रत्यक्ष टेलीफोन नंबर (कार्यालयों / कॉर्पोरेट / नियोक्ता के बोर्ड / सामान्य टेलीफोन नंबर नहीं) स्वीकार किए जाएंगे। और यह कि वे पंजीकरण के अनुरोध की सत्यता को सत्यापित करने के लिए ऋणदाता से कॉल प्राप्त कर सकते हैं। वे आगे नोट करते हैं कि, ऋणदाता उनसे संपर्क करने के लिए उधारकर्ता और/या गारंटर संपर्क विवरण का उपयोग कर सकता है और समय-समय पर अपने एजेंटों (या) अधिकृत प्रतिनिधियों के माध्यम से सीधे (या) सावधानीपूर्वक चयनित उत्पादों और सेवाओं की पेशकश कर सकता है। यह भी कि वे ऋणदाता / उसके अधिकृत एजेंटों से टेलीफोन / मोबाइल / एसएमएस / ईमेल (ऋणदाता के साथ दर्ज) के माध्यम से विपणन उद्देश्यों के लिए उत्पाद / सेवाओं आदि के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए भी नोट करते हैं और सहमति देते हैं।

29.8 कि वे सहमत हैं कि अनुबंध समाप्त हो जाएगा जब अंतिम पक्ष समझौते पर हस्ताक्षर करेगा|

29.9 उधारकर्ता आगे सहमत होता है और इस समझौते और स्वीकृति पत्र की प्रति की प्राप्ति को स्वीकार करता है और ऋणदाता ने इसे उचित व्यवहार संहिता के अनुपालन में प्रदान किया है।

29.10 उधारकर्ता यह भी समझता है कि उनके अनुरोध पर, ऋणदाता इस समझौते और अन्य दस्तावेजों की प्रतियां संवितरण स्वागत किट के एक भाग के रूप में प्रदान करेगा। हालांकि, अतिरिक्त प्रतियों के लिए उधारकर्ता द्वारा किसी भी अनुरोध पर ऋणदाता द्वारा समय-समय पर निर्धारित शुल्क लागू होंगे।

इसके साक्ष्य में पक्षकारों के बीच इसके बाद लिखे गए दिन और वर्ष पर सहमति हुई है।

	नाम	**हस्ताक्षर**
ऋणदाता	**Hinduja Leyland Finance Ltd.,** अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता	________________________________
उधारकर्ता	____________________________	________________________________
सह-उधारकर्ता	____________________________	________________________________
गारंटर	____________________________	________________________________

साक्ष्य:

1.

2.

अनुसूची **– I**

<table>
<tr><td colspan="6">उधारकर्ता का विवरण</td></tr>
<tr><td>पूरा नाम</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>S/D/W</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता</td><td colspan="2"></td><td>हस्ताक्षरकर्ता का पदनाम</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>निवास का पता</td><td colspan="2"></td><td>पिनकोड</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>राज्य</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>कार्यालय का पता</td><td colspan="2"></td><td>पिन कोड</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>राज्य</td><td colspan="2"></td><td>ई-मेल आईडी</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>फोन नंबर</td><td colspan="2"></td><td>वोटर आईडी</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>पैन</td><td colspan="2"></td><td>ड्राइविंग लाइसेंस नंबर</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>पासपोर्ट संख्या।</td><td colspan="2"></td><td>आधार संख्या (UID)</td><td colspan="2">x x x x x x x x</td></tr>
<tr><td>DIN</td><td colspan="2"></td><td>सीकेआईसी आईडी</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>वर्चुअल आईडी</td><td colspan="2"></td><td>GST NO.</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>उद्योग आधार न.</td><td colspan="2"></td><td>उद्यम</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">संवैधानिक</td><td>❑एकल</td><td>❑ स्वामित्व</td><td>❑ OPC</td><td>❑ पार्टनरशिप</td><td>❑ एलएलपी</td></tr>
<tr><td>❑ प्राइवेट लिमिटेड कारपोरेशन</td><td>❑ प्राइवेट लिमिटेड कारपोरेशन</td><td>❑ ट्रस्ट</td><td>❑ एसोसिएशन</td><td>❑ सोसाइटी</td></tr>
<tr><td>❑ क्लब</td><td>❑ व्यक्तियों का निकाय</td><td>❑ SPV</td><td>❑ अन्य</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="6">सह-उधारकर्ता का विवरण</td></tr>
<tr><td>पूरा नाम</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>S/D/W</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता</td><td colspan="2"></td><td>हस्ताक्षरकर्ता का पदनाम</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>निवास का पता</td><td colspan="2"></td><td>पिनकोड</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>राज्य</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>कार्यालय का पता</td><td colspan="2"></td><td>पिन कोड</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>राज्य</td><td colspan="2"></td><td>ई-मेल आईडी</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>फोन नंबर</td><td colspan="2"></td><td>वोटर आईडी</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>पैन</td><td colspan="2"></td><td>ड्राइविंग लाइसेंस नंबर</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>पासपोर्ट संख्या।</td><td colspan="2"></td><td>आधार संख्या (UID)</td><td colspan="2">x x x x x x x x</td></tr>
</table>

DIN			सीकेआईसी आईडी		
वर्चुअल आईडी			GST NO.		
उद्योग आधार न.			उद्यम		
संवैधानिक	❑एकल	❑ स्वामित्व	❑ OPC	❑ पार्टनरशिप	❑ एलएलपी
	❑ प्राइवेट लिमिटेड कारपोरेशन	❑ प्राइवेट लिमिटेड कारपोरेशन	❑ ट्रस्ट	❑ एसोसिएशन	❑ सोसाइटी
	❑ क्लब	❑ व्यक्तियों का निकाय	❑ SPV	❑ अन्य	

गारंटर का विवरण					
पूरा नाम					
S/D/W					
अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता			हस्ताक्षरकर्ता का पदनाम		
निवास का पता			पिन कोड		
राज्य					
कार्यालय का पता			पिन कोड		
राज्य			ई-मेल आईडी		
फोन नंबर			वोटर आईडी		
पैन			ड्राइविंग लाइसेंस नंबर		
पासपोर्ट संख्या।			आधार संख्या (UID)	X x x x x x x x	
DIN			सीकेआईसी आईडी		
वर्चुअल आईडी			GST NO.		
सीआईएन			उद्यम		
संवैधानिक	❑एकल	❑ स्वामित्व	❑ OPC	❑ पार्टनरशिप	❑ एलएलपी
	❑ प्राइवेट लिमिटेड कारपोरेशन	❑ प्राइवेट लिमिटेड कारपोरेशन	❑ ट्रस्ट	❑ एसोसिएशन	❑ सोसाइटी
	❑ क्लब	❑ व्यक्तियों का निकाय	❑ SPV	❑ अन्य	

(**B**) ऋण अनुबंध विवरण			
ऋण समझौता संख्या			
निष्पादन का स्थान			
समझौते की तारीख		प्रभावित तिथि	
अतिरिक्त/ संबद्ध ऋण अनुबंध संख्या (यदि कोई हो)			
उद्देश्य जिसके लिए ऋण राशि का उपयोग किया जाएगा			

ऋणदाता की शाखा	
स्थान और राज्य	

संख्या	वस्तु	विवरण	
(बी)	**संपति का विवरण**		
1	सहायक उपकरण सहित संपत्ति का विवरण		
2	बनाना		
3	मॉडल		
4	इंजन संख्या		
5	चास्सिस संख्या		
6	पंजीकरण संख्या		
(सी)	**वितीय विवरण**		
1	संपत्ति की लागत		
2	ऋण की राशि		
3	मार्जिन मनी (यदि कोई हो)		
4	ब्याज दर - IRR	IRR ________%	
5	अवधि		
6	ब्याज प्रभार		
7	किश्तों की कुल संख्या		
8	EMI का मूल्य		
9	अग्रिम ईएमआई की संख्या (यदि कोई हो)		
10	सुरक्षा जमा (यदि कोई हो)		
11	सुरक्षा जमा पर ब्याज दर (%)		
12	प्रथम वर्ष बीमा		
13	द्वितीय वर्ष बीमा		
14	तृतीय वर्ष बीमा		
15	आउट स्टेशन चेक शुल्क (यदि कोई हो)		
16	उपयोग किया जाने वाले वाहन के मामले में, बीमा तक वैध है		
(डी)	**अन्य शुल्क**		
1	चेक डिशऑनर होने पर शुल्क		
	(ए) पहली प्रस्तुति	Rs. 500/-	या समय-समय पर ऋणदाता द्वारा निर्धारित किसी अन्य दर के साथ-साथ लागू करों और वैधानिक शुल्क
	(बी) दूसरी प्रस्तुति	Rs. 500/-	
	(सी) कलेक्शन चेक बाउंस शुल्क	Rs. 500/-	
2	प्रक्रिया शुल्क सहित अन्य शुल्क|	जैसा कि समय-समय पर ऋणदाता द्वारा निर्धारित किया जाता है, साथ ही लागू कर और वैधानिक शुल्क	
3	समय से पहले बंद करने के लिए देय प्रीमियम की दर	सुविधा की तत्कालीन बकाया राशि का 5% या ऋणदाता द्वारा समय-समय पर निर्धारित किसी अन्य दर के साथ-साथ लागू कर और वैधानिक शुल्क	
4	खंड 2.15 के तहत प्रदान की गई अतिरिक्त वित्त शुल्क	**36% प्रति वर्ष प्लस लागू कर और वैधानिक शुल्क**	

	या दंड शुल्क दर	

	नाम	हस्ताक्षर
ऋणदाता	**Hinduja Leyland Finance Ltd.,** अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता	________________________
उधारकर्ता	________________________	________________________
सह-उधारकर्ता	________________________	________________________
गारंटर	________________________	________________________

अनुसूची - II

पुनर्भुगतान की अनुसूची

किश्त सं.	देय तिथि	किश्त की राशि	मूलधन	ब्याज	किश्त सं.	देय तिथि	किश्त की राशि	मूलधन	ब्याज
1					43				
2					44				
3					45				
4					46				
5					47				
6					48				
7					49				
8					50				
9					51				
10					52				
11					53				
12					54				
13					55				
14					56				
15					57				
16					58				
17					59				
18					60				
19					61				
20					62				
21					63				
22					64				
23					65				
24					66				
25					67				
26					68				
27					69				
28					70				
29					71				
30					72				
31					73				
32					74				
33					75				
34					76				
35					77				
36					78				
37					79				
38					80				
39					81				
40					82				
41					83				
42					84				

	नाम	**हस्ताक्षर**
ऋणदाता	**Hinduja Leyland Finance Ltd.,,** अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता	_________________________________

उधारकर्ता ______________________________ □____________________________________

सह-उधारकर्ता ______________________________ □____________________________________

गारंटर ______________________________ □____________________________________

डिमान्ड प्रोमेसरी नोट

प्रति
Hinduja Leyland Finance Ltd.,
संख्या 27-ए, विकसित औद्योगिक एस्टेट,
गिंडी, चेन्नई - 600032।

मांग पर, मैं/हम, एतद्द्वारा श्री. Hinduja Leyland Finance Ltd. को संयुक्त रूप से और अलग-अलग भुगतान करने का वचन देता है। (ऋणदाता), नंबर 27-ए, विकसित इंडस्ट्रीजहाट, गिंडी, चेन्नई - 600032 या ऑर्डर (इसके उत्तराधिकारी और असाइन आदि सहित), यहां निर्दिष्ट राशि, जहां मांग की गई ब्याज के साथ। ऐसी दरें और ऐसे बकाया, भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों के अनुसार या समय-समय पर ऋणदाता द्वारा निर्धारित उधार दरों के अनुसार, यहां की तारीख से वसूली की तारीख तक, जहां भी ऐसी दरों पर ब्याज के साथ मांग की जाती है और इस तरह के बकाया, जहां कहीं और निर्दिष्ट राशि है। या ऐसी सभी राशियों के साथ ब्याज दरें, दंडात्मक शुल्क, परिसमाप्त नुकसान, कमीशन, बोझ, शुल्क और व्यय, जैसा कि ऋणदाता द्वारा मुझे/हमें समय-समय पर प्रचलित या निश्चित या बिना किसी संदर्भ, नोटिस या नोटिस के, एक दर पर उत्तरदायी नहीं है ऋणदाता के लिए निर्धारित किया जाता है। किसी भी डेबिट प्रविष्टि को आरक्षित करने या ब्याज नहीं डेबिट करने या किसी भी अवधि के लिए बही या खाता बही या ऋणदाता के खाते के विवरण में कोई डेबिट नहीं करने का निर्णय / कार्रवाई / नीति। मैं/हम बिना शर्त और अपरिवर्तनीय रूप से भुगतान और नोटिंग और वचन पत्र के विरोध के लिए प्रस्तुति को छोड़ देते हैं।

राशि : रु. ______________/- (रुपये ____________________________________ मात्र).

ब्याज दर: ___________% प्रति वर्ष, (IRR)

उधारकर्ता:

सह-उधारकर्ता:

गारंटर:

स्थान: ____________________

रेवेन्यु स्टेम्प